



The Bihar Fire Service Act, 2014

Act 6 of 2014

Keyword(s):

Fire Division, Fire Prevention and Fire Safety Measures, Fire Safety Officer, Fire Officer, Fire Service, Fire Station, Fire Sub-Division, Building, Erector of Pandal, Governor, Multistoried Building, Occupancy, Occupier

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 325) पटना, बृहस्पतिवार, 27 मार्च 2014

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 मार्च 2014

सं0 एल0जी0-1-25/2013/लेज: 50—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 05 मार्च, 2014 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014

[बिहार अधिनियम 6, 2014]

प्रस्तावना - बिहार राज्य में अग्निशमन के बेहतर विनियमन एवं अग्निशमन उपायों के कार्यान्वयन करने, बिहार अग्निशमन सेवा को किसी भवन में अग्नि सुरक्षा लागू करने तथा सभी प्रकार के भवनों, परिसरों और अस्थायी संरचनाओं में प्रभावी अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा लागू करने एवं बिहार अग्निशमन सेवा के आधुनिक संगठनात्मक संरचना हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**—(1) यह अधिनियम बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से किसी क्षेत्र में प्रवृत्त होगा जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए एवं इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तिथियाँ नियत की जा सकेंगी।

अध्याय-I**प्रारंभिक**

2. **परिभाषाएँ।**—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) “अपीलीय प्राधिकार” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त अग्निशमन सेवा, बिहार सरकार के महानिदेशक;
- (ख) “भवन” से अभिप्रेत है, कोई भी संरचना चाहे वह राजगीरी ईंटों, लकड़ियों, मिट्टी, धातु या अन्य सामग्रियों से निर्मित हो और जिसमें सीमा दीवाल से अन्यथा भवन, उपभवन, तहखाना, भूमिगत पड़ाव, शौचालय, मूत्रालय, सायबान, झोपड़ी या दीवाल आदि सम्मिलित है;
- (ग) “भवन उपविधि” से अभिप्रेत है, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधीन बनाई गयी उपविधि;
- (घ) “निदेशक” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा-8 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा;
- (ङ) “पंडाल लगाने वालों” से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ चाहे वह निगमित हो या अन्यथा, जो नियमित या स्थायी आधार पर लोगों के अधिवास के लिए कोई पंडाल या कोई संरचना खड़ा करता या बनाता हो;
- (च) “अग्निशमन खंड” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य में यथाविहित अग्निशमन उपखंड की संख्या जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक अग्निशमन खंड होना सरकार द्वारा सामान्यतः या विशेषतः घोषित किया गया;
- (छ) “अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपाय” से अभिप्रेत है ऐसे उपाय जो कि अग्नि प्रकोप की स्थिति में और इस निमित्त बनाई गई नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अग्नि के संरोधन, नियंत्रण एवं शमन हेतु भवन उपविधि एवं भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार आवश्यक हो;
- (ज) “प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा-9 के अधीन बिहार सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी;
- (झ) “सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा-9 के अधीन महानिदेशक, अग्निशमन सेवा द्वारा नियुक्त पदाधिकारी;
- (ञ) “अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी” से अभिप्रेत है, कतिपय परिसरों एवं भवनों के स्वामियों एवं अधिभागियों द्वारा, ऐसे परिसरों एवं भवनों में अग्नि निवारण एवं संस्थापित अग्नि सुरक्षा उपाय

- सुनिश्चित करने हेतु, इस अधिनियम की धारा-29 के अधीन इस निमित्त यथाविनिर्दिष्ट अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति ;
- (ट) “अग्निशामन पदाधिकारी” से अभिप्रेत है, अग्निशामन सेवा का कार्यचालन पदाधिकारी;
- (ठ) “अग्निशामन सेवा” से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-5 के अधीन गठित बिहार अग्निशामन सेवा;
- (ड) “दमकल केन्द्र” से अभिप्रेत है व्यवस्थित किया गया एक ऐसा भवन जिसमें आग बुझाने वाला उपकरण, साधित्र और कर्मचारी हों और जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा सामान्यतः या विशेषतः दमकल केन्द्र के रूप में घोषित हो;
- (ढ) “अग्निशामन उप-खंड” से अभिप्रेत है राज्य के अग्निशामन खंड के अंतर्गत ऐसा प्रभाग जिसमें यथाविनिर्दिष्ट दमकल केन्द्रों की संख्या समावेशित हों और जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा सामान्यतः या विशेष रूप से अग्निशामन उप-खंड के रूप में घोषित हों;
- (ण) “सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (त) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 155 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त बिहार का राज्यपाल;
- (थ) “सदस्य, अग्निशामन सेवा” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन अग्निशामन सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति;
- (द) “बहुमंजिली भवन” से अभिप्रेत है ऐसा न्यूनतम ऊँचाई वाला भवन जो इस निमित्त नियमावली के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकार द्वारा निदेशक को अधिसूचित किया जाय;
- (ध) “नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में निदेशक द्वारा नियुक्त दमकल केन्द्र अधिकारी से अन्यून पंक्ति का कोई पदाधिकारी;
- (न) “अधिभोगी” से अभिप्रेत है मुख्य अधिभोगी जिसके लिए किसी भवन या भवन को किसी भाग का सहायक अधिभोगों सहित जो उसपर समाहित हो, उपयोग किया जाता हो या उपयोग किए जाने हेतु आशयित हो;
- (प) “अधिभोगी” में सम्मिलित है-
- (i) कोई व्यक्ति, जो तत्समय स्वामी को भूमि या भवन या उसके किसी भाग के किराये का भुगतान कर रहा हो या उसका भुगतान करने का दायी हो और वह भूमि या भवन जिसके संबंध में ऐसे किराये का भुगतान किया गया हो या भुगतये हो;
- (ii) अपनी भूमि या भवन का कोई अधिभोगी स्वामी या अपनी भूमि या भवन का अन्यथा उपयोग करने वाला कोई स्वामी;
- (iii) किसी भूमि या भवन का किरायामुक्त किरायेदार;
- (iv) किसी भूमि या भवन का अधिभोगी अनुज्ञप्तिधारी; और
- (v) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन के उपयोग और अधिभोग के लिए स्वामी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायी होगा।
- (फ) “प्रभारी पदाधिकारी” से अभिप्रेत है दमकल केन्द्र का प्रभारी अग्निशामन पदाधिकारी;
- (ब) “अग्निशामन सेवा का कार्यचालन सदस्य” से अभिप्रेत है अग्निशामन सेवा का कोई सदस्य जो अग्नि स्थल पर अग्निशामक वाहन, अग्निशामक उपकरण एवं साधित्र ले जाने और अग्नि के वास्तविक शमन में भाग लेने हेतु अपेक्षित हो;
- (भ) “स्वामी” में सम्मिलित है, कोई व्यक्ति जो तत्समय किसी भूमि या भवन का किराया सीधे अपने खाता में या किसी अन्य के खाता के माध्यम से प्राप्त करने का हकदार हो या कोई अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक, प्रापक या कोई अन्य व्यक्ति जो किराया प्राप्ति दिखावे या किराया प्राप्ति का हकदार हो यदि भूमि या भवन या उसका कोई भाग किराया पर दिया गया हो, और इसमें सम्मिलित है बिहार मकान (पट्टा, किराया और बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1982

एवं नियमावली, 1983 यथासंशोधित और अन्य सुसंगत अधिनियम एवं नियमावली के अधीन निष्क्रांत सम्पत्ति के संबंध में निष्क्रांत सम्पत्ति अभिरक्षक;

- (म) 'पंडाल' से अभिप्रेत है एक अस्थायी संरचना, जिसकी छत या दीवारें पुआल, सूखी घास, बड़ी घास, गॉलपट्टा, चर्मखाल, चटाई, कैनवास, कपड़ा या स्थायी या निरन्तर अधिभोग हेतु न अपनायी गई इसी तरह का अन्य सामग्री से जो निर्मित हो;
- (य) 'परिसर' से अभिप्रेत है, कोई भूमि या भवन या भवन का कोई भाग जिसमें भवन या भवन के किसी भाग से सम्बद्ध वाटिका-स्थल और उपभवन भी यदि कोई हो, सम्मिलित है; और कोई भूमि या भवन या उससे संलग्न जो विस्फोटकों, विस्फोटक पदार्थ एवं खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थ के भंडारण हेतु प्रयुक्त किए जाते हों;

स्पष्टीकरण- इस खंड में, "विस्फोटक", "विस्फोटक पदार्थ" और "खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थ" के अर्थ वही होंगे जो "विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4), विस्फोटक (पदार्थ) अधिनियम, 1908 (1908 का 6) और ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) में क्रमशः उनके प्रति समनुदेशित किए गये हों।

- (क क) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाई गयी नियमावली द्वारा विहित;
- (क ख) "विहित प्राधिकार" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित प्राधिकार;
- (क ग) "अनुमण्डल दंडाधिकारी" से अभिप्रेत है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा-20 की उप-धारा (4) के अधीन "अनुमण्डल दंडाधिकारी" के रूप में नियुक्त सरकार का एक पदाधिकारी;
- (क घ) "अधीनस्थ कार्यचालन कर्मचारी" में सम्मिलित है- अग्निक/अग्निक चालक, प्रधान अग्निक/प्रधान अग्निक चालक और कोई अन्य समतुल्य पंक्ति का अग्निशमन सेवा का प्रत्येक सदस्य;
- (क ङ) "दमकल केन्द्र पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, सरकार/महानिदेशक, अग्निशमन सेवा द्वारा दमकल केन्द्र पदाधिकारी के रूप में नियुक्त अग्निशमन सेवा का पदाधिकारी;
- (क च) "अग्निशमन परामर्शी और अग्निशमन सलाहकार" से अभिप्रेत है, कम से कम दस वर्षों का अनुभव वाला अग्निशमन अभियंत्रण स्नातक या एम.आई. अग्निशमन अभियंत्रण या समकक्ष की न्यूनतम तकनीकी अर्हता धारण करने वाला व्यक्ति।

अध्याय-II

अग्निशमन सेवा का संगठन, अधीक्षण, नियंत्रण एवं अनुरक्षण

3. पूरे बिहार के लिए एक अग्निशमन सेवा।-पूरे बिहार के लिए एक अग्निशमन सेवा होगी और अग्निशमन सेवा के सभी पदाधिकारी और अधीनस्थ पंक्ति के कर्मचारी बिहार के किसी भी भाग में पदस्थापन के दायी होंगे ;

परन्तु, यह प्रावधान स्वामी या अधिभोगी के विनिर्दिष्ट भवन या उद्योग को अग्नि सुरक्षा कवरेज प्रदान करने वाली अनुरक्षित निजी अग्निशमन सेवाओं पर लागू नहीं होगा।

4. पर्यवेक्षण महानिदेशक, अग्निशमन सेवा में निहित होना।-बिहार भर में अग्निशमन सेवा का अधीक्षण एवं नियंत्रण निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य पदाधिकारी द्वारा सहायता प्राप्त महानिदेशक, अग्निशमन सेवा में निहित होगा।

5. अग्निशमन सेवा का गठन।-इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन,

- (क) अग्निशमन सेवा विभिन्न पंक्तियों के पदों की उस संख्या से मिलकर बनी होगी और उसका वैसा संगठन एवं वैसी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य होंगे जो सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, विनिश्चित किये जाय, और
- (ख) अग्निशमन सेवा में भर्ती, अग्निशमन सेवा के सदस्यों के वेतन, भत्ते और सभी अन्य सेवा-शर्तें वही होंगी जो विहित की जाय ।

6. **अग्निशामन सेवा के पदों का वर्गीकरण।**—अग्निशामन सेवा के पदों का वर्गीकरण यथानिम्नवत होगा:

- (1) ग्रुप 'क' के पद से अभिप्रेत है, कोई भी पद, जो, इसके वेतनमान का ध्यान रखते हुए ऐसा पद राज्य सरकार में रहा हो, और जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत आदेशों के अनुसार राज्य सरकार के अधीन ग्रुप 'क' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।
- (2) ग्रुप 'ख' के पद से अभिप्रेत है, कोई भी पद, जो, इसके वेतनमान एवं परिलब्धियों का ध्यान रखते हुये, ऐसा पद राज्य सरकार में रहा हो, और जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत आदेशों के अनुसार ग्रुप 'ख' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।
- (3) ग्रुप 'ग' के पद से अभिप्रेत है, कोई भी पद जो, इसके वेतनमान एवं परिलब्धियों का ध्यान रखते हुये ऐसा पद राज्य सरकार में रहा हो, और जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत आदेशों के अनुसार ग्रुप 'ग' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।
- (4) ग्रुप 'घ' के पद से अभिप्रेत है, कोई भी पद, जो, इसके वेतनमान एवं परिलब्धियों का ध्यान रखते हुये, ऐसा पद राज्य सरकार में रहा हो और जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत आदेशों के अनुसार ग्रुप 'घ' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

7. **अग्निशामन सेवा के ग्रुप 'क' एवं ग्रुप 'ख' के पदों पर नियुक्तियाँ।**— सरकार बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के पश्चात् ही या बिहार सरकार के सुसंगत मार्गदर्शन के अनुसार, धारा-6 की क्रमशः उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत, ग्रुप 'क' या ग्रुप 'ख' के पदों पर नियुक्ति करेगी।

8. **बिहार अग्निशामन सेवा के निदेशक की नियुक्ति।**—(1) बिहार में अग्निशामन सेवा के निदेशों एवं पर्यवेक्षण के लिए, सरकार किसी अग्निशामन पदाधिकारी को निदेशक के रूप में नियुक्त करेगी, जो इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन यथाविनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों तथा अन्य कृत्यों का अनुपालन करेगी।

(2) सरकार द्वारा इस संबंध में बनायी गयी नियमावली के अध्यक्षीन, निदेशक बिहार राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या किसी अन्य चयन प्राधिकार, जिसे सरकार, अधिसूचना द्वारा, विहित करे की अनुशंसाओं पर ही इस कोटि के, कार्य संचालन सदस्यों सहित, ग्रुप 'ग' स्तर के अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति, सरकार द्वारा यथानियत मासिक वेतनों एवं भत्तों पर कर सकेंगे।

(3) सरकार द्वारा इस संबंध में बनायी गयी नियमावली के अध्यक्षीन, निदेशक, इस कोटि के कार्य संचालन सदस्यों सहित ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों की नियुक्ति, सरकार द्वारा यथानियत मासिक वेतनों और ऐसे भत्तों पर, कर सकेंगी।

9. **अग्नि प्रमंडल, अनुमंडल तथा दमकल केन्द्र का गठन।**— सरकार

(क) बिहार राज्य में अग्नि क्षेत्रों तथा अग्नि प्रमण्डलों का गठन कर सकेगी ;

(ख) ऐसे अग्नि क्षेत्रों को अग्नि प्रमण्डलों में तथा अग्नि प्रमण्डलों को अग्नि अनुमण्डलों में विभाजित कर सकेगी और अग्नि प्रमण्डलों, अग्नि अनुमण्डलों तथा दमकल केन्द्रों को क्रमशः अग्नि क्षेत्र, अग्नि प्रमण्डल तथा अग्नि अनुमण्डल में विनिर्दिष्ट कर सकेगी; और

(ग) प्रशासन तथा प्रचालन दक्षता के लिए अग्नि प्रमण्डलों, अग्नि अनुमण्डलों तथा दमकल केन्द्रों की यथावश्यक सीमाओं और विस्तार को परिभाषित कर सकेगी।

10. **नियुक्ति दक्षता प्रमाण-पत्र।**—(1) उपाधिकारी और उससे नीचे की पंक्ति का प्रत्येक अग्निशामन पदाधिकारी नामांकित होने पर नियुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।

(2) प्रमाण पत्र उस पदाधिकारी की मुहर के अधीन और उस प्रारूप में निर्गत किया जायेगा जिसे महानिदेशक, अग्निशामन सेवा द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विहित किया जायेगा ।

(3) नियुक्ति प्रमाण-पत्र रद्द हो जाएगा जब उसमें नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अग्निशामन सेवा का न रह जाय अथवा जब व्यक्ति अग्निशामन सेवा से निर्लंबित हो जाता है, कालावधि के दौरान प्रवर्तन में नहीं रहेगा ।

(4) अग्निशमन सेवा के सदस्य ऐसे सभी नियमों द्वारा शासित होंगे जो सरकारी सेवकों पर, उनकी सेवा के निबंधन और शर्तों तथा सभी अन्य सहबद्ध विषयों के संबंध में, लागू हों, मामलों के संबंध में लागू नियमों द्वारा शासित होंगे।

11. अग्निशमन पदाधिकारी के निलंबन का प्रभाव।—अग्निशमन पदाधिकारी में निहित शक्तियाँ, कृत्य तथा विशेषाधिकार स्थगित रहेंगे जब ऐसा अग्निशमन पदाधिकारी के निलंबन के अधीन हो ;

परंतु ऐसे निलंबन के होते हुये भी ऐसे व्यक्ति का अग्निशमन पदाधिकारी बना रहना समाप्त नहीं होगा तथा वह उन्हीं प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन बना रहेगा जिनके अधीन वह बना रहता यदि वह निलंबन के अधीन नहीं रहता।

12. निदेशक की सामान्य शक्तियाँ।—महानिदेशक, अग्निशमन सेवा के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यक्षीन रहते हुए निदेशक अग्निशमन के समस्त उपकरणों, मशीनरी और साधनों, प्रशिक्षण, व्यक्तियों एवं घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का संप्रेक्षण, कार्यों का बँटवारा, विधियों, आदेशों तथा कार्यवाहियों के ढंगों का अध्ययन और कार्यपालिका विवरण के सभी विषयों या उसके अधीन अग्निशमन सेवा के अग्निशमन पदाधिकारियों तथा सदस्यों के कर्तव्यों को पूरा करने तथा अनुशासन बनाए रखने का निदेश देगा तथा उन सभी विषयों को विनियमित करेगा।

अध्याय-III

अग्निशमन सेवा का नियंत्रण और अनुशासन ।

13. विवरणियों (रिटर्न), प्रतिवेदनों, विवरणों (स्टेटमेंट्स) आदि की माँग।— सरकार अग्नि रोधन तथा अग्नि सुरक्षा, निदेशक, अग्निशमन पदाधिकारियों, कार्यचालन सदस्यों तथा सदस्य एवं सहायक कार्यचालन कर्मचारियों से संबंधित किसी विषय पर विवरणियों, प्रतिवेदनों और विवरणों की माँग कर सकेगी और इन्हें तत्काल भेजा जाएगा।

14. अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों पर लागू कतिपय राजकीय नियम।—बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 तथा बिहार पेंशन नियमावली 1950, समय-समय पर यथा संशोधित, के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, बिहार अग्निशमन सेवा के सभी कर्मचारियों, जिसमें अग्निशमन पदाधिकारी, कार्यचालन सदस्य, सदस्य एवं सहायक कार्यचालन कर्मचारी शामिल हैं, पर लागू होंगे।

15. अग्निशमन पदाधिकारी हमेशा काम पर समझे जाएँगे तथा राज्य के किसी भाग में नियोजन हेतु उत्तरदायी होना।—प्रत्येक अग्निशमन पदाधिकारी इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए हमेशा कर्तव्य (ड्यूटी) पर समझा जाएगा और राज्य के किसी भाग में कार्य के लिए आवंटित प्रत्येक अग्निशमन पदाधिकारी या अग्निशमन पदाधिकारियों के दल या किसी सदस्य को, यदि निदेशक का ऐसा निदेश हो, बिहार के किसी अन्य भाग में जब तक अग्निशमन पदाधिकारी या अग्निशमन पदाधिकारियों के दल या किसी सदस्य की आवश्यकता रहेगी, राज्य के किसी भाग में किसी भी समय काम पर लगाया जा सकेगा।

16. अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों पर मौलिक नियमावली तथा अनुपूरक नियमावली का विस्तार।— मौलिक नियमावली और अनुपूरक नियमावली बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित बिहार अग्निशमन सेवा के सभी कर्मचारियों, जिनमें अग्निशमन पदाधिकारी, कार्यचालन सदस्य एवं अधीनस्थ कार्यचालन कर्मी शामिल हैं, तक विस्तारित होंगे।

17. अग्निशमन सेवा को समुदाय की आवश्यक सेवा घोषित किया जाना।—(1) तत्समय लागू विषयक पर किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अग्निशमन सेवा को समुदाय की आवश्यक सेवा घोषित कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की गयी घोषणा प्रथमतः छः महीने के लिए लागू रहेगी किन्तु इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा समय-समय पर इसे विस्तारित किया जा सकेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन की गयी घोषणा होने पर और जब तक यह लागू रहेगा तब तक प्रत्येक अग्निशमन पदाधिकारी का, घोषणा में विनिर्दिष्ट सेवा से संबंधित किसी नियोजन के संबंध में किसी वरीय पदाधिकारी के आदेश का पालन करना, कर्तव्य होगा।

18. कर्तव्य के अतिक्रमण के लिए शास्ति।- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की जा सकनेवाली किसी कार्रवाई के होते हुए भी, अग्निशामन सेवा का कोई सदस्य जो-

- (क) इस अधिनियम के किसी उपबंध अथवा इसके अधीन बनाए गये किसी नियम अथवा आदेश का, जानबूझकर भंग करने अथवा अतिक्रमण करने का दोषी पाया जाए; अथवा
- (ख) भीरूता का दोषी पाया जाए; अथवा
- (ग) पन्द्रह दिनों अथवा उससे अधिक का पूर्व नोटिस दिये बिना अथवा अनुमति के बिना अपने पदीय कर्तव्य से अनुपस्थित या अलग रहता हो, अथवा
- (घ) छुट्टी के कारण अनुपस्थित रहने पर, ऐसी छुट्टी की समाप्ति के बाद युक्तियुक्त कारण के बिना कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता हो;
- (ङ) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के उपबंध के उल्लंघन में कोई नियोजन अथवा पद स्वीकार करता हो अथवा अपने को कारबार में लगाता हो;
कारावास से, जो तीन महीने तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा जुर्माना से, जो उस सदस्य के तीन महीने के वेतन से अनधिक राशि तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

19. संघ आदि गठित करने के अधिकार संबंधी प्रतिबंध।-(1) अग्निशामन सेवा का कोई सदस्य सरकार अथवा विहित प्राधिकार की लिखित रूप में पूर्व मंजूरी के बिना-

- (क) किसी संघ, श्रमिक संघ, राजनीतिक संघ का सदस्य नहीं होगा अथवा किसी तरह से ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ अथवा राजनीतिक संघ से सहयुक्त नहीं होगा;
- (ख) किसी सामाजिक संस्था, संघ अथवा संगठन, जो अग्निशामन सेवा के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त न हो अथवा जो विशुद्ध रूप से सामाजिक, तकनीकी, मनोरंजक अथवा धार्मिक प्रकृति का न हो, का सदस्य नहीं होगा अथवा उससे सहयुक्त नहीं होगा; अथवा
- (ग) कोई पुस्तक, पत्र अथवा अन्य दस्तावेज प्रेस को संसूचित अथवा प्रकाशित करेगा अथवा प्रकाशित नहीं करवाएगा सिवाय जहाँ ऐसी संसूचना अथवा प्रकाशन उसके कर्तव्यों के वास्तविक निर्वहन में हो अथवा विशुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति का हो।

स्पष्टीकरण।-(1) यदि कोई प्रश्न उठे कि इस उप-धारा के खंड (ख) के अधीन क्या कोई संघ, सोसाइटी, संस्था, संगठन विशुद्ध रूप से सामाजिक, तकनीकी, मनोरंजक अथवा धार्मिक प्रकृति का है, तो इस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) अग्निशामन सेवा का कोई भी सदस्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किसी राजनीतिक प्रयोजन या यथा विहित ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए आयोजित किसी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा अथवा किसी बैठक में न तो भाग लेगा अथवा न उसे संबोधित करेगा।

अध्याय-IV

अग्निशामन कर, फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण ।

20. अग्निशामन कर का उद्ग्रहण।-(1) सरकार उन भूमि और भवनों पर अग्निशामन कर उद्ग्रहीत कर सकेगी जो किसी ऐसे क्षेत्र में अवस्थित हों जहाँ यह अधिनियम लागू हो और जिस पर उस क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकार द्वारा संपत्ति-कर, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाय, उद्ग्रहीत किया जाता हो।

(2) अग्निशामन कर संपत्ति-कर पर अधिभार के रूप में ऐसी दर से ऐसे संपत्ति कर के प्रतिशत के रूप में उद्ग्रहीत किया जाएगा जो सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अवधारित करे।

21. अग्निशामन-कर के निर्धारण, संग्रहण आदि का ढंग।-(1) कर-क्षेत्र की विधि के अधीन प्राधिकृत करनेवाले प्राधिकार के अधीन संपत्ति-कर के भुगतान के निर्धारण, संग्रहण और लागू करने के लिए सशक्त प्राधिकार, सरकार की ओर से और इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के अधीन रहते हुये, उसी रीति से भुगतान का निर्धारण, संग्रहण करेगा और लागू करेगा जिस रीति से संपत्ति-कर निर्धारित, संदत्त और संग्रहीत होता है और इस प्रयोजनार्थ वे उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो उन्हें उपर्युक्त विधि द्वारा प्रदत्त है तथा ऐसी विधि के उपबंध जिसके अंतर्गत विवरणी, अपील, पुनर्विलोकन, निर्देश और शास्ति से संबंधित उपबंध है, तदनुसार लागू होंगे।

(2) अग्निशमन-कर के कुल आगम के ऐसे भाग, जो सरकार अवधारित करे, की कटौती अग्निशमन-कर को संगृहीत करनेवाली लागत को पूरा करने के लिए की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन संगृहीत अग्निशमन-कर के आगमों में से संग्रहण लागत को घटाने के बाद बची राशि सरकार को ऐसी रीति और ऐसे अंतराल पर संदत्त की जाएगी जो विहित किये जाय।

22. बिहार की सीमा से बाहर अग्निशमन सेवा की तैनाती पर फीस।-(1) जहाँ अग्निशमन सेवा के सदस्य किसी ऐसे क्षेत्र, जहाँ यह अधिनियम प्रवृत्त है, की सीमा से बाहर किसी राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय अथवा अग्निशमन सेवा प्राधिकार के अनुरोध पर, सीमा के पड़ोस में आग बुझाने के निमित्त भेजे जाते हैं तो इस निमित्त, समय-समय पर, सरकार द्वारा यथाविहित ऐसी फीस के भुगतान की जिम्मेदारी उनकी होगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट फीस निदेशक द्वारा, यथास्थिति राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय अथवा अग्निशमन सेवा प्राधिकार की माँग की सूचना के तामीला के एक माह के भीतर देय होगा और यदि उस अवधि के भीतर यह संदत्त नहीं किया जाए तो यह भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगा।

23. अन्य अग्निशमन सेवा के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्थाएँ।-महानिदेशक, अग्निशमन सेवा अथवा सरकार की पूर्वस्वीकृति से, निदेशक, अग्निशमन प्रयोजनार्थ कर्मी अथवा उपस्कर अथवा दोनों उपलब्ध कराने हेतु किसी अग्निशमन सेवा अथवा प्राधिकार, जो उस क्षेत्र, जहाँ यह अधिनियम प्रवृत्त हो, की सीमा से बाहर उक्त अग्निशमन सेवा बनाए रखता हो, के साथ उन निबंधनों पर, जो, लोक हित में पारस्परिक आधार पर उपबंधित किया जाय अथवा करार के अधीन हो।

24. सहायता करने के लिए व्यवस्थापनों में प्रवेश करने हेतु निदेशक की शक्ति।-महानिदेशक, अग्निशमन सेवा अथवा सरकार की पूर्वस्वीकृति से, निदेशक, किसी व्यक्ति अथवा संगठन में, जो सुरक्षा हेतु अग्निशमन के प्रयोजनार्थ कर्मी अथवा उपस्कर अथवा दोनों रखते हैं, के साथ, भुगतान के संबंध में निबंधनों पर अन्यथा जो व्यवस्थापनों द्वारा अथवा अधीन उपबंधित किया जाए तथा किसी क्षेत्र, जहाँ यह अधिनियम प्रवृत्त हो, में आग लगने पर निपटाने के प्रयोजनार्थ सहायता के लिए उस व्यक्ति अथवा संगठन से सहायता का प्रावधान हो, प्रवेश कर सकेगा।

अध्याय-V

अग्नि निवारण और स्वयं विनियमन के लिए सामान्य उपाय।

25. निवारक उपाय।-(1) सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिभोग के किसी वर्ग अथवा पंडालों को जो उसकी राय में आग के खतरे का संभावित कारक हो, घोषित कर सकेगी।

(2) सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, परिसरों अथवा भवनों के स्वामियों अथवा अधिभोगियों अथवा दोनों अथवा उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित पंडालों के लगाने वालों से ऐसे अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा की अपेक्षा कर सकेगा जो विहित किया जाए।

26. पंडालों में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों का स्वयं विनियामक होना।-(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंडालों के लगाने वाले धारा-25 की उप-धारा (2) के अधीन विहित अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपाय करने के लिए स्वतः विनियामक समझे जाएँगे।

(2) पंडाल लगानेवाला पंडाल के भीतर प्रमुख जगह पर विहित फारम में अपने हस्ताक्षर से इस आशय की घोषणा प्रदर्शित करेगा कि उसने इसमें सभी विहित अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपाय किया है।

(3) निदेशक, नामित प्राधिकारी अथवा सरकार या महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह उप-धारा (2) के अधीन पंडाल लगानेवाले द्वारा इस प्रकार की की गयी घोषणा की सत्यता के सत्यापन के मद्देनजर पंडाल में प्रवेश कर निरीक्षण करे और कमी को, यदि कोई हो, को विनिर्दिष्ट समय के भीतर दूर करने के निदेश के साथ, उजागर करे। यदि निरीक्षण पदाधिकारी के निदेशों का पालन समय सीमा के भीतर नहीं किया जाए तो निरीक्षण पदाधिकारी पंडाल को सील कर देगा।

(4) पंडाल लगानेवाला, जिसने झूठी घोषणा की हो कि उसके द्वारा पंडाल लगाये जाने में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपायों का पालन किया गया है तो वह इस अधिनियम की धारा-52 के अधीन दंडनीय अपराध करनेवाला समझा जाएगा।

27. अग्निशामन की किसी बाधा अथवा आग के जोखिम के संभावित कारक के रूप में अतिक्रमण अथवा वस्तु अथवा माल का हटाया जाना।-(1) धारा-25 के अधीन जहाँ अधिसूचना निर्गत हो गया हो, वहाँ निदेशक अथवा सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अग्निशामन सेवा के किसी पदाधिकारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह स्थल की सुरक्षा के लिए अग्निशामन की किसी बाधा अथवा आग की जोखिम के संभावित कारक के रूप में अतिक्रमण अथवा वस्तु अथवा माल को हटाने का निदेश दे और, यथास्थिति, स्वामी, अधिभोगी अथवा पंडाल लगानेवाले द्वारा ऐसा करने में चूक करने पर निदेशक अथवा वह पदाधिकारी, यथास्थिति, स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा पंडाल लगानेवाले को अभ्यावेदन देने का युक्तियुक्त अवसर देकर, उस अनुमंडल मजिस्ट्रेट को जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में परिसर अथवा भवन अथवा पंडाल अवस्थित हो परन्तु विषय के बारे में विषय पर न्यायनिर्णय के अनुरोध के साथ प्रतिवेदित करेगा जहाँ निदेशक अतिक्रमण अथवा वस्तु अथवा माल को आग के जोखिम का प्रमुख कारण अथवा अग्निशामन की बाधा समझे वहाँ वह ऐसे परिसर अथवा भवन के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा पंडाल लगानेवाले को अतिक्रमण अथवा वस्तु अथवा माल तुरत हटाने के लिए निदेश दे सकेगा और तदनुसार अनुमंडल मजिस्ट्रेट को विषय के बारे में प्रतिवेदित करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अनुमंडल मजिस्ट्रेट अग्निशामन की किसी बाधा अथवा आग की जोखिम के संभावित कारक के रूप में अतिक्रमण अथवा वस्तु अथवा माल को हटाने के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देनेवाला एक नोटिस का तामीला ऐसी रीति से कराएगा जिसे वह उचित समझे।

(3) उप-धारा (2) के अधीन, यथास्थिति, स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा पंडाल लगानेवाले को अभ्यावेदन देने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अनुमंडल मजिस्ट्रेट ऐसे अतिक्रमण अथवा वस्तु अथवा माल को अभिग्रहण, निरुद्ध करने अथवा हटाने का आदेश दे सकेगा,

(4) उप-धारा (3) में किये गये आदेश के निष्पादनार्थ प्रभारी व्यक्ति उन वस्तुओं और माल की सूची तुरत बनाएगा जिन्हें वह उस आदेश के अधीन अभिग्रहण करता हो साथ-ही-साथ वह उस व्यक्ति को, जिसके कब्जा में अभिग्रहण के समय वे हों, इस निमित्त यथाविहित एक लिखित नोटिस देगा कि उक्त वस्तुएँ अथवा माल, जो उसमें उल्लिखित है, को बेच दिया जाएगा, यदि उक्त नोटिस में नियत अवधि के भीतर उसका दावा न किया जाए।

(5) अभिग्रहण के समय जिसके कब्जे में वस्तुएँ और माल थे उस व्यक्ति द्वारा उप-धारा (4) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसरण में अभिग्रहण किये गये माल पर दावा करने से चूक जाने पर अनुमंडल मजिस्ट्रेट तदनुसार लोक नीलामी द्वारा उन्हें बेच देगा।

(6) अनुमंडल मजिस्ट्रेट के किसी नोटिस अथवा आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर, अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा:

परन्तु, अपीलीय प्राधिकार 30 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि यह समाधान हो जाए कि उस अवधि के भीतर अपील दाखिल नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(7) अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील उस फारम में की जायेगी तथा नोटिस अथवा आदेश की प्रतिलिपि, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, और वैसी फीस साथ लगी होगी, जो विहित की जाय।

(8) उप-धारा (7) के अधीन किसी अपील पर अपीलीय प्राधिकार का आदेश अंतिम होगा।

28. आग लगने और/अथवा बचाव के अवसर पर अग्निशामन सेवा के सदस्यों की शक्तियाँ।-किसी ऐसे क्षेत्र में, जहाँ यह अधिनियम प्रवृत्त हो, आग से बचाव के अवसर पर अग्निशामन सेवा का कोई सदस्य, जो उस स्थल पर अग्निशामन कार्यचालन का प्रभारी हो-

(क) किसी व्यक्ति को, जिसकी उपस्थिति आग बुझाने के कार्य अथवा जीवन या संपत्ति को बचाने में हस्तक्षेप करे अथवा बाधा डाले, हटा सकेगा अथवा अग्निशामन सेवा के किसी अन्य सदस्य को हटाने का आदेश दे सकेगा;

(ख) जहाँ आग बुझाने का कार्य चल रहा हो और/अथवा बचाव कार्य प्रगति पर हो, वहाँ अथवा उसके नजदीक के मार्ग अथवा गली को बंद कर सकेगा;

- (ग) आग बुझाने और बचाव कार्यो को पूरा करने के प्रयोजनार्थ हौज अथवा साधित्रों को ले जाने के लिए कम से कम संभावित क्षति पहुँचा कर किसी परिसर को तोड़कर घुस सकेगा अथवा उनसे होकर प्रवेश कर सकेगा अथवा उन्हें गिरा सकेगा या उन्हें तुड़वा कर घुसा सकेगा अथवा उनसे होकर प्रवेश करा सकेगा अथवा उसे गिरवा सकेगा;
- (घ) जलापूर्ति के प्रभारी प्राधिकारी से उस क्षेत्र में जल के प्रमुख लाइन को विनियमित करने की अपेक्षा कर सकेगा ताकि उस स्थान पर जहाँ आग लगी हो, विनिर्दिष्ट दबाव पर जल उपलब्ध कराया जा सके और ऐसी आग को बुझाने अथवा कम करने और बचाव कार्य को पूरा करने के प्रयोजनार्थ किसी धारा, कुंड, कुँआ अथवा तालाब का जल अथवा जल के किसी उपलब्ध स्रोत चाहे निजी हो, अथवा सार्वजनिक, का उपयोग कर सकेगा;
- (ङ) अग्निशमन कार्यो में बाधा डालनेवाले संभावित व्यक्तियों के जमावड़े को तितर-बितर करने के लिए उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा मानो वह थाने का प्रभारी पदाधिकारी हो और मानो वह जमावड़ा अवैध जमावड़ा हो और उस स्वतंत्रता और संरक्षण का हकदार होगा जैसा कि ऐसी शक्तियों के प्रयोग के निमित्त ऐसा पदाधिकारी होता है;
- (च) उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो जानबूझ कर अग्निशमन कर्मियों को अग्निशमन और बचाव कार्यो में बाधा और अड़चन डालता हो और बिना किसी अपरिहार्य बिलंब के उसे पुलिस पदाधिकारी अथवा नजदीकी थाना को एक संक्षिप्त टिप्पणी, जिसमें समय, तारीख और गिरफ्तारी का कारण हो, के साथ सौंप देगा; और
- (छ) साधारणतया उन उपायों को कर सकेगा जो, आग बुझाने अथवा जीवन या संपत्ति या दोनों की सुरक्षा के लिए, उसे आवश्यक प्रतीत हो।

29. अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति।—निम्नलिखित कोटियों के भवनों अथवा परिसरों का हरेक स्वामी और अधिभोगी अथवा ऐसे स्वामियों और अधिभोगियों का संघ एक अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त करेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गये नियमों में यथा उपबंधित सभी अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा और इसके प्रभावी कार्यचालन का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, यथा:—

- (क) 1000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाला सिनेमाघर और 10,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बने वाणिज्यिक कम्प्लेक्स और कुल मिलाकर 1000 या उससे अधिक लोगों के बैठने की क्षमतावाले एक से अधिक सिनेमा को प्रदर्शित करनेवाले भवन चाहे उसमें व्यवसायिक कम्प्लेक्स हो अथवा नहीं;
- (ख) 100 और उससे अधिक कमरेवाले होटल;
- (ग) भूमिगत विपणन कम्प्लेक्स, जिला केन्द्र, उप केन्द्रीय व्यावसायिक जिले जिसमें 25000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में बना तहखाना;
- (घ) 50 मीटर से ऊँची बहुमंजिली गैर-आवासीय इमारतें;
- (ङ) वृहत् तेल और प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठापन, जैसे तेल शोधक कारखाने, एलपीजी भरणे का संयंत्र और इसी तरह की अन्य सुविधाएँ;
- (च) 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाला खुला स्टेडियम और 25000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाला इन्डोर स्टेडियम;
- (छ) 500 से अधिक शय्यावाले अस्पताल और नर्सिंग होम सार्वजनिक और अर्द्धसरकारी भवन जैसे बड़े और छोटे रेलवे स्टेशन, अन्तरराज्यीय बस टर्मिनल, हवाई अड्डे, मनोरंजन पार्क और इस तरह के अन्य भवन;

परन्तु, सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अन्य किसी परिसरों को इसमें शामिल कर सकेगी जहाँ उसकी राय में, अग्नि सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता हो।

30. अग्नि सुरक्षा पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करना।—अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी सरकार द्वारा इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट “अग्नि सुरक्षा प्रबंधन अकादमी” में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे;

परन्तु, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो “राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर” अथवा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी समकक्ष संस्था से पूर्व में ही ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो, इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

31. अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं करने की चूक की दशा में शास्ति।-(1) यदि किसी भवन अथवा परिसर का स्वामी अथवा अधिभोगी या ऐसे स्वामियों और अधिभोगियों का संघ, यथास्थिति, निदेशक अथवा नामित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त दी गयी नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, धारा-29 के अधीन अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति करने में चूक करता है तो उनमें से प्रत्येक संयुक्त रूप से और अलग-अलग चूक करने वाला समझा जाएगा।

(2) जब ऐसे अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति का दायी व्यक्ति चूक करनेवाला समझा जाता है, तो उसके स्वामित्व अथवा अधिभोग में स्थित क्षेत्रफल, जिसमें निदेशक द्वारा यथा अवधारित साझे का क्षेत्र भी शामिल है, के लिए उससे प्रति वर्गमीटर दस रुपये से अन्यून और पचास रुपये से अनधिक राशि, उसके प्रत्येक महीने अथवा उसके भाग की चूक के लिए, शास्ति के रूप में वसूली जा सकेगी;

(3) उप-धारा (2) के अधीन शास्ति के रूप में देय राशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगी।

अध्याय-VI

बिहार के कतिपय भवनों और परिसरों में अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए विशेष उपबंध।

32. बहुमंजिली भवन हेतु विशेष उपबंध।-इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, बहुमंजिली इमारतें इसके पश्चात्, नियत अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के उपबंधों से शासित होंगी। इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा विहित बहुमंजिली इमारतों एवं विशेष परिसरों में अग्नि निवारण उपायों के कार्यान्वयन के लिए सरकार अग्निशमन परामर्शी को पंजीकृत कर सकेगी अथवा अग्निशमन सलाहकार नियुक्त कर सकेगी;

33. भवनों, परिसरों आदि का निरीक्षण।-(1) नामित प्राधिकारी ऐसी ऊँचाई, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट हो, वाले किसी भवन अथवा परिसर के अधिभोगी अथवा यदि अधिभोगी न हो तो स्वामी को तीन घंटे की नोटिस के पश्चात् उसमें प्रवेश कर उक्त भवन अथवा परिसर का सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किसी भी समय, निरीक्षण कर सकेगा जहाँ ऐसा निरीक्षण/अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता अथवा उल्लंघन अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु, नामित प्राधिकारी जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में किसी समय भी किसी भवन अथवा परिसर में प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा, यदि ऐसा करना समीचीन और आवश्यक प्रतीत हो।

(2) नामित प्राधिकारी को उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षण कार्य करने के लिए भवन अथवा परिसर के, यथास्थिति, स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

(3) जब उप-धारा (1) के अधीन किसी आदमी के निवास के लिए प्रयुक्त भवन अथवा परिसर में प्रवेश किया जाता हो तो अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक भावना का सम्यक् सम्मान किया जाएगा और किसी महिला के, जो रीति के अनुसार सार्वजनिक तौर पर प्रकट नहीं होती हो, वास्तविक अधिभोग वाले किसी अपार्टमेंट में उप-धारा (1) के अधीन प्रवेश किया जाता हो तो उसे नोटिस दी जाएगी कि वह निकल जाने के लिए स्वतंत्र है और निकल जाने के लिए उसे हर युक्तियुक्त सुविधा मुहैया करायी जाएगी।

34. अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा हेतु उपाय।-(1) धारा-33 के अधीन नामित प्राधिकारी भवन अथवा परिसर का निरीक्षण पूरा करने के पश्चात् अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध में भवन उपविधि के उल्लंघन और व्यतिक्रम एवं ऐसे उपायों (इसमें उपबंधित भवन की ऊँचाई और ऐसे भवन और परिसर में किये जा रहे कार्यों की प्रकृति के संदर्भ में) की अपर्याप्तता के संबंध में अपनी राय अभिलिखित करेगा तथा ऐसे भवन और परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी को इस निदेश के साथ नोटिस जारी करेगा कि वह नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट उपायों की जिम्मेवारी ले।

(2) नामित प्राधिकारी धारा-33 के अधीन किये गये किसी निरीक्षण का प्रतिवेदन निदेशक को देगा।

35. कतिपय भवनों और परिसरों के संबंध में उपबंध।-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निदेशक अथवा नामित प्राधिकारी किसी भवन, जिसका निर्माण इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिन अथवा पूर्व में पूर्ण कर लिया गया हो अथवा किसी भवन, जो उस तारीख को निर्माणाधीन हो, में प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा यदि ऐसा निरीक्षण ऐसे भवनों में अग्निनिवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता को अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

(2) निदेशक अथवा धारा-33 में दी गयी रीति से नामित प्राधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के अधीन प्रवेश और निरीक्षण किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन भवन अथवा परिसर के निरीक्षण के पश्चात्, यथास्थिति, निदेशक अथवा नामित प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् :-

- (i) भवन उपविधि के उपबंध, जिसके अनुसार उक्त भवन अथवा परिसर की योजना स्वीकृत की गयी थी;
- (ii) उक्त भवन अथवा परिसर की योजना-स्वीकृति के समय स्थानीय प्राधिकार द्वारा अधिरोपित शर्तें, यदि कोई हो, और
- (iii) ऐसे भवन अथवा परिसर के अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, ऐसे भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी को भवन अथवा परिसर में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध में अपर्याप्तता का उल्लेख किया जायेगा; उक्त के संबंध में एक नोटिस जारी करेगा और स्वामी अथवा अधिभोगी को उस समय सीमा के भीतर, जिसे वह न्याय-संगत और युक्तियुक्त समझे, कथित अपर्याप्तता को सुधारने के लिए ऐसे उपायों की जिम्मेवारी लेने का निदेश देगा ।

(4) नामित प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन अपने द्वारा किये गये किसी निरीक्षण का प्रतिवेदन भी निदेशक को देगा।

36. अपील।-(1) इस अध्याय के अधीन निदेशक अथवा नामित प्राधिकारी द्वारा जारी नोटिस अथवा दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी नोटिस अथवा ऐसे आदेश के विरुद्ध, उस नोटिस अथवा आदेश, जिसके विरुद्ध अपील किया जाना है, की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा:

परन्तु, अपीलीय प्राधिकार तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि उस अवधि के भीतर अपील दाखिल नहीं करने का पर्याप्त कारण रहा था।

(2) अपीलीय प्राधिकार के समक्ष किया जानेवाला अपील, ऐसे फारम में किया जाएगा और उसके साथ उस नोटिस अथवा आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, प्रतिलिपि और ऐसी फीस अनुलग्न होगी जो इस अधिनियम द्वारा बनाए गये नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

37. अध्याय VI के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति।-जो कोई इस अध्याय के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन, उसके विरुद्ध किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास की सजा से, जो छः महीने तक बढ़ायी जा सकेगी अथवा जुर्माना से, जो पचास हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा और जहाँ ऐसा अपराध जारी रहता है, वहाँ आगे जुर्माना लगाया जाएगा जो, पहले जुर्माने के बाद ऐसे अपराध जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए तीन हजार रूपये प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकेगा।

अध्याय-VII

प्रकीर्ण ।

38. अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।-(1) उद्योगों, होटलों, बहुमंजिली इमारतों और धारा-29 में यथाविनिर्दिष्ट इसी प्रकार की अन्य सरकारी और गैर-सरकारी स्थापनों के निजी अभ्यर्थी तथा अग्निशमन सेवा

के कर्मियों को अग्नि निवारण और अग्निशमन में प्रशिक्षण का अनुक्रम उपलब्ध कराने हेतु सरकार बिहार में अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी नामक अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और रख-रखाव कर सकेगी।

(2) सरकार उप-धारा (1) के अधीन स्थापित होने वाले अकादमी, स्थानीय निकायों और औद्योगिक उपक्रमों के नियंत्रण के अधीन अग्निशमन सेवाओं के, साथ-साथ अन्य राज्यों के राज्य अग्निशमन सेवा तक यथाविहित प्रभार के भुगतान पर, प्रशिक्षण सेवाओं का विस्तार कर सकेगी।

(3) प्रशिक्षण के संबंध में सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू साधारण नियमों के पालन के अधीन, अग्निशमन सेवा के सदस्यों को, भारत के भीतर अथवा बाहर किसी संस्थान में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, सरकार के खर्चे पर अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उपायों की वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

(4) एक अग्निशमन पदाधिकारी, जो उप-धारा (3) में यथा उपबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करता हो, यदि उस अग्निशमन सेवा में इस निमित्त उसपर बाध्यकारी अनुबद्ध अवधि तक अपनी सेवा न दे तो वह प्रशिक्षण के दौरान उसे संदत्त वेतन और भत्ते सहित सभी व्ययों और लागतों की प्रतिपूर्ति सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा।

39. अन्य क्षेत्र में स्थानांतरण।-निदेशक अथवा सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अग्निशमन पदाधिकारी, किसी पड़ोसी क्षेत्र, जहाँ यह अधिनियम प्रवृत्त हो, में आग लगने पर अथवा अन्य आपात अवसर पर, अग्निशमन सेवा के सदस्यों को आवश्यक साधित्रों और उपस्करों के साथ ऐसे पड़ोसी क्षेत्र में अग्निशमन कार्यों को पूरा करने के लिए भेजने का आदेश दे सकेगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम के सभी उपबंधों और उनके अधीन बने नियम अग्नि आपातअग्नि अथवा ऐसी अवधि के दौरान, जो निदेशक, समय-समय पर यथाविहित प्रभारों पर विनिर्दिष्ट करें उन क्षेत्रों पर लागू होंगे।

40. अन्य कार्यों में लगाना।- सरकार अथवा इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के लिए किसी बचाव, निस्तार अथवा अन्य कार्यों में, जिसके लिए उसके प्रशिक्षण, साधित्र और उपस्कर के कारण उपयुक्त हो, अग्निशमन सेवा को लगाना विधिसम्मत होगा।

41. भुगतान हेतु संपत्ति-स्वामी का प्रतिकर के दायित्व।-(1) कोई व्यक्ति, जिसकी संपत्ति अपने स्वयं के अथवा उसके एजेंट के जानबूझकर किये गये कार्यों अथवा उपेक्षा के कारण आग के हवाले हो जाए, इस अधिनियम की धारा-28 के अधीन अथवा उसमें उल्लिखित पदाधिकारी अथवा उस पदाधिकारी के प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा, किसी प्रकार की गयी कार्रवाई के कारण, किसी अन्य व्यक्ति को उसकी संपत्ति को हुए नुकसान के प्रतिकर भुगतान का दायी होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सभी दावे, जब नुकसान हुआ तो उस तिथि से तीस दिनों के भीतर, अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दाखिल किये जाएँगे।

(3) अपीलीय प्राधिकार पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् बकाये प्रतिकर की राशि अवधारित करेगा और उस राशि तथा व्यक्ति, जो उसका दायी हो, का उल्लेख करते हुए, एक आदेश पारित करेगा तथा इस प्रकार पारित आदेश का वही प्रभाव होगा, जो सिविल न्यायालय की डिक्री का होता है।

42. सूचना प्राप्त करने की शक्ति।- निदेशक अथवा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अग्निशमन पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ यथा विनिर्दिष्ट किसी भवन अथवा अन्य संपत्ति के स्वामी अथवा अधिभोगी से यथाविनिर्दिष्ट भवन अथवा अन्य संपत्ति की प्रकृति, उपलब्ध जलापूर्ति और उसमें पहुँच के साधन, किसी भौतिक विशिष्टियों के निमित्त अन्य सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा और ऐसा स्वामी, अधिवासी अपने पास उपलब्ध सभी सूचनाएँ उपलब्ध कराएगा।

43. प्रवेश की शक्ति।-(1) नामित प्राधिकारी धारा-25 की उप-धारा (1) के अधीन निर्गत किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भी स्थान पर यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश कर सकेगा कि ऐसे स्थान पर आग बुझाने के लिए अपेक्षित निवारक और सुरक्षा उपाय उसी प्रकार कर लिये गये हैं।

(2) नामित प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन भवन अथवा परिसर का निरीक्षण पूरा करने के पश्चात् अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध में धारा-25 की उप-धारा (2) के अधीन निर्गत अधिसूचना के उल्लंघन अथवा व्यतिक्रम और भवन के अधिभोग अथवा ऐसे भवन अथवा परिसर में किये जा रहे कार्यों की

प्रकृति के संबंध में उसमें उपबंधित ऐसे उपायों की अपर्याप्तता पर अपने विचारों को अभिलिखित करेगा और ऐसे भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी को नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट उपायों की जिम्मेवारी लेने हेतु निदेश देने हेतु एक नोटिस जारी करेगा।

(3) नामित प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा किये गये किसी निरीक्षण का प्रतिवेदन भी निदेशक को देगा।

(4) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप-धारा (1) के अधीन किसी प्रवेश के कारण अपरिहार्य रूप से हुई किसी प्रकार के नुकसान के प्रतिकार के लिए दावा किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा संस्थित नहीं होगा।

44. भवनों अथवा परिसरों को सील करने की शक्ति।—(1) धारा-34 की उप-धारा (2) अथवा धारा-35 की उप-धारा (4) अथवा धारा-43 की उप-धारा (3) के अधीन नामित प्राधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा से निदेशक को जहाँ प्रतीत हो कि किसी भवन अथवा परिसर की स्थिति जीवन अथवा संपत्ति के लिए खतरनाक है, तो वह इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा, ऐसे भवन अथवा परिसर पर कब्जा रखने वाले अथवा अधिभोग वाले व्यक्ति से स्वयं को तुरत ऐसे भवन अथवा परिसर से दूर करने की अपेक्षा करेगा।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन निदेशक द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो निदेशक उस क्षेत्र की अधिकारिता वाले किसी पुलिस पदाधिकारी को भवन अथवा परिसर से ऐसे व्यक्तियों को हटाने हेतु निदेश दे सकेगा और ऐसा पदाधिकारी उस निदेश का अनुपालन करेगा।

(3) यथास्थिति, उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (2) के अधीन व्यक्तियों को हटाने के पश्चात् निदेशक भवन अथवा परिसर को सील कर देगा।

(4) निदेशक के आदेश के बिना कोई व्यक्ति उस सील को नहीं हटाएगा।

(5) निदेशक के आदेश के बिना ऐसे सील को हटाने वाला कोई व्यक्ति, ऐसी कारावास की सजा से जो तीन महीने तक बढ़ायी जा सकेगी अथवा जुर्मानों से, जो पच्चीस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

45. जल की क्षतिपूर्ति।—किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा अग्निशमन सेवा द्वारा आग बुझाने के कार्यों में उपयोग किये गये जल के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

46. जलापूर्ति में व्यवधान के लिए कोई प्रतिकर नहीं।— किसी क्षेत्र की जलापूर्ति के प्रभार में रहनेवाला कोई प्राधिकार, धारा-28 के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन के अवसर पर वह प्राधिकारी जलापूर्ति में किसी व्यवधान के कारण नुकसान के लिए प्रतिकर हेतु किसी दावे का दायी नहीं होगा।

47. पुलिस पदाधिकारियों और अन्य द्वारा सहायता किया जाना।—प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी, सरकारी और निजी ऐजेंसी अथवा व्यक्ति अग्निशमन सेवा के सदस्यों को, इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों के निष्पादन में युक्तियुक्त रूप से मदद की माँग करने पर सहायता करने के लिए आबद्ध है।

48. जानकारी देने में असफलता।— जो आग लग जाने की स्वयं की जानकारी को, बिना किसी ठीक कारण के, संसूचित करने में असफल रहता है, भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा-176 के प्रथम भाग के अधीन दंडनीय अपराध करने वाला समझा जायेगा।

49. पूर्वावधान बरतने में असफलता।— जो कोई भी धारा-25 की उप-धारा (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भी आवश्यकता अथवा उस धारा की उप-धारा (2) के अधीन निर्गत निदेश का अनुपालन करने में, बिना पर्याप्त कारण के असफल रहे, तो वह उस जुर्माना से, जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, अथवा कारावास की सजा से, जो तीन महीने तक बढ़ाया जा सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा, और जहाँ अपराध जारी रहे तो आगे ऐसे जुर्माना से जो, ऐसे अपराध करते रहने के दौरान पहले अपराध के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा।

50. अग्निशमन, बचाव कार्यों में जानबूझ कर बाधा डालने के लिए शास्ति।— कोई व्यक्ति, जो अग्निशमन कार्यों में लगे हुए अग्निशमन सेवा के किसी सदस्य को जानबूझकर बाधा पहुँचाता हो अथवा हस्तक्षेप

करता हो, ऐसी कारावास की सजा से, जिसकी अवधि तीन महीने तक बढ़ाई जा सकेगी अथवा जुर्माना से, जो पाँच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

51. मिथ्या प्रतिवेदन।- कोई भी व्यक्ति, जो किसी विवरण, संदेश अथवा अन्यथा साधनों से प्रतिवेदन को प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किसी व्यक्ति को आग लग जाने के बारे में जानबूझकर मिथ्या प्रतिवेदन देता है अथवा दिलवाता है, ऐसी कारावास से, जिसकी अवधि तीन महीने तक बढ़ाई जा सकेगी अथवा जुर्मानों से, जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

52. अपराध के दण्ड हेतु सामान्य उपबंध।- जो कोई भी इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या की गयी अधिसूचना का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन, उसके विरुद्ध की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तीन महीने तक बढ़ायी जा सकने वाली नियत अवधि के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा और जहाँ ऐसा अपराध जारी रहता हो तो ऐसे जारी रहनेवाले अपराध के प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रुपये तक का आगे जुर्माना भी किया जा सकेगा।

53. इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व बिहार में काम कर रही अग्निशमन सेवा को इस अधिनियम के अधीन गठित अग्निशमन सेवा समझा जाना- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व बिहार में काम कर रही अग्निशमन सेवा “विद्यमान बिहार अग्निशमन सेवा” इसके प्रवृत्त होने पर, इस अधिनियम के अधीन गठित अग्निशमन सेवा समझी जायेगी और विद्यमान अग्निशमन सेवा के प्रत्येक पदधारी सदस्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त और पदधारी समझे जायेंगे;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पहले, विद्यमान अग्निशमन सेवा के किसी अग्निशमन पदाधिकारी के समक्ष लम्बित सभी कार्यवाहियाँ उस पदधारी की हैसियत से उसके समक्ष लम्बित समझी जायेंगी, जहाँ वह इस धारा के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त समझा जाता है और इसका निपटान तदनुसार किया जायेगा।

54. अपराधों का प्रशमन-(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने या इसके पश्चात् धाराएं 26, 27, 31, 37, 44, 48, 49, 50, 51 और 52 के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन, कोई भी दण्डनीय अपराध अग्निशमन सेवा के ऐसे पदाधिकारियों द्वारा और ऐसी रकम के लिए प्रशमित किया जा सकेगा जो इस निमित्त सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाये ;

परन्तु सरकार या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी पदाधिकारियों के द्वारा या उनकी ओर से निर्गत सूचना, आदेश या अध्यक्षता के अनुपालन असफल रहने के कारण कोई अपराध उस समय तक प्रशमनीय नहीं होगा जबतक कि उसका अनुपालन, जहाँ तक संभव हो, कर न दिया जाय ।

(2) जहाँ किसी अपराध का प्रशमन उप-धारा (1) के अधीन किया गया हो और अपराधकर्ता, यदि हिरासत में हो, तो उसे छोड़ दिया जायेगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही संस्थित या जारी नहीं रहेगी।

55. न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।- कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी सूचना या आदेश के संबंध में कोई वाद, अभ्यावेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और कोई ऐसी सूचना या आदेश इस अधिनियम के अधीन अपील के सिवाय अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।

56. अभियोजन का संज्ञान। -कोई भी न्यायालय, निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी की शिकायत या उनसे प्राप्त इतिला को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

57. अधिकारिता। - प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा।

58. सद्भाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण।- कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी जो सद्भाव से की गयी हो या इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गई किसी नियमावली के अनुसरण में किये जाने के आशय से की गयी हो ।

59. अधीनस्थ कार्यचालन पदाधिकारी की विशेष प्रोन्नति।- जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में असाधारण बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण दिखाने वाले लक्ष्यबधियों, विशिष्ट खिलाड़ियों तथा अग्निशमन पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए, निदेशक, सरकार की पूर्व स्वीकृति से, बिना पारी ऐसे पदाधिकारियों को अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नत कर सकेंगे, बशर्ते रिक्तियाँ हों। ऐसी प्रोन्नतियाँ इन पदों के स्वीकृत बल के दस प्रतिशत से अनधिक होगी। वरीयता के प्रयोजनार्थ ऐसे प्रोन्नतिधारियों को उस वर्ष तैयार की गई प्रोन्नति सूची में नीचे स्थान दिया जायेगा।

60. अग्निशमन सेवा के सदस्य की मृत्यु।- अग्निशमन सेवा के सदस्य (राजपत्रित पदाधिकारी से भिन्न) की मृत्यु कर्तव्य-निर्वहन के दौरान हो जाने पर सरकार उसके निकटतम संबंधी को अंत्येष्टि खर्च के रूप में अधिकतम ₹ 5000 (पाँच हजार ₹0) तक अदा करेगी।

61. अग्निशमन पदाधिकारियों का लोक सेवक होना।- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यरत प्रत्येक अग्निशमन पदाधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा-21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएँगे।

62. कंपनियों द्वारा किया गया अपराध।- (1) यदि कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो उस अपराध किए जाने के समय, कंपनी का ऐसा प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति, जो कंपनी के कार्य संचालन हेतु कंपनी के प्रति उत्तरदायी हो, इस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा एवं तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए वह दायी एवं दोषी होगा ;

परंतु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का दायी नहीं बनायेगी, यदि वह यह सिद्ध करता है कि यह अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ है अथवा उसने ऐसे अपराध के घटित न होने देने के लिए सभी सम्यक् सावधानियाँ बरत ली थी।

(2) इस धारा की उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो गया है कि वह अपराध उस कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, या अन्य पदाधिकारी की ओर से सम्मति, या मौनानुकूलता या किसी उपेक्षा के कारण ही घटित हुआ है; तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी उस अपराध के लिए दोषी समझे जाएँगे एवं उनके विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही किए जाने के तथा दण्ड के भागी होंगे।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनार्थ

(क) “कंपनी” से अभिप्रेत है, निगमित निकाय एवं इसमें एक फर्म या अन्य व्यष्टियों का संगम सम्मिलित है ; तथा

(ख) फर्म के “ निदेशक” से अभिप्रेत है, उस फर्म का भागीदार ।

63. नियमावली/विनियमावली बनाने की शक्ति।-(1)सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु नियमावली/विनियमावली बना सकेंगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वागामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगी :-

- (क) धारा-5 के खण्ड (ख) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों की सेवा में भर्ती, उनका वेतन, भत्तों एवं अन्य सभी सेवा-शर्तों ;
- (ख) धारा-9 के खण्ड (ख) के अधीन अग्निशमन उपखंडों की ऐसी संख्या को समाविष्ट कर अग्निशमन प्रभाग के गठन ;
- (ग) धारा-9 के खण्ड (ख) के अधीन दमकल केन्द्रों की ऐसी संख्या को समाविष्ट कर अग्निशमन उपप्रभागों के गठन ;
- (घ) नियुक्ति के प्रमाण-पत्र का प्ररूप और अग्निशमन पदाधिकारी, जिनकी मुहर से नियुक्ति के ऐसे प्रमाण-पत्र, धारा-10 की उप-धारा (2) के अधीन निर्गत किए जाएँगे ;
- (ङ) धारा-19 की उप-धारा (2) के अधीन सभाओं अथवा प्रदर्शनों के अधिप्राय;
- (च) धारा-21 के अधीन अग्निशमन कर का निर्धारण, संग्रहण एवं उसके भुगतान के प्रवर्तन के ढंग;

- (छ) धारा-21 के अधीन संगृहीत अग्निशमन कर सरकार को दिए जाने की रीति;
- (ज) धारा-22 की उप-धारा (1) के अधीन और धारा-39 के अधीन बिहार की परिसीमा से परे अग्निशमन सेवा की तैनाती पर फीस;
- (झ) धारा-23 के अधीन अन्य अग्निशमन सेवाओं के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्थाओं हेतु निबंधन;
- (ञ) धारा-25 की उप-धारा (2), धारा-32 और धारा-35 की उप-धारा (3) के खण्ड (प) के प्रयोजनार्थ अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के न्यूनतम मानक;
- (ट) धारा-26 की उप-धारा (2) के अधीन घोषणा का प्ररूप;
- (ठ) धारा-27 की उप-धारा (4) के अधीन सूचना का प्ररूप;
- (ड) धारा-33 की उप-धारा (1) के अधीन भवन की ऊँचाई;
- (ढ) धारा-27 की उप-धारा (7) और धारा-36 की उप-धारा (2) के अधीन अपील और फीस का प्ररूप;
- (ण) धारा-38 की उप-धारा (2) के अधीन “अग्नि सुरक्षा प्रबंधन अकादमी” में अन्यो के प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के चार्ज;
- (त) अग्निशमन सेवा के पदाधिकारी और धारा-54 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के प्रशमन की रकम;
- (थ) अग्निशमन सेवा हेतु उचित समझे जाने वाले साधित्र और उपकरण उपलब्ध कराना ;
- (द) उपयोग के लिए उपलब्ध रहने की सुनिश्चितता हेतु जल की पर्याप्त आपूर्ति;
- (घ) दमकल केन्द्रों का निर्माण किया जाना या उपलब्ध कराया जाना या अग्निशमन सेवा के सदस्यों के रहने और अग्निशमन साधित्रों के रखने की जगह हेतु किराये पर जगह लेना ;
- (न) ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कार देना, जिन्होंने आग लगने की सूचना दी हो और जिन्होंने अग्निकांड के समय अग्निशमन सेवा अपनी कारगर सेवा प्रदान किया हो;
- (प) अग्निशमन सेवा के सदस्यों का प्रशिक्षण, अनुशासन और सदाचरण;
- (फ) अग्नि कांड की किसी संकट घंटी पर अग्निशमन सेवा के सदस्यों का आवश्यक साधित्रों एवं उपस्करों सहित तुरंत उपस्थित हो जाने;
- (ब) निदेशक की शक्तियों, कर्तव्यों एवं कृत्यों को विनियमित एवं नियंत्रित करना;
- (भ) सामान्यतः कार्य दक्षता की सम्यक् स्थिति में अग्निशमन सेवा का अनुरक्षण;
- (म) पंडालों और शामियानों के लगाये जाने को विनियमित करने ;
- (य) अग्निशमन पदाधिकारियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखने।
- (य)(क) अग्निशमन के विवरण एवं मात्रा को विनिश्चित करने और अग्निशमन सेवा को सौंपे जाने वाले साधित्र आवरण और अन्य आवश्यक वस्तुओं सहित साधित्रों को बचाने ;
- (य)(ख) नीतिगत प्रशासन से सम्बद्ध किसी प्रयोजनार्थ किसी अग्निशमन सेवा निधि का संस्थापन, प्रबंधन और विनियमन;
- (य)(ग) सभी स्तरों और कोटियों के अग्निशमन पदाधिकारियों के कर्तव्य नियत करना, और विनिर्दिष्ट करना कि किस रीति एवं शर्तों के अधीन वे अपनी संबंधित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहण करेंगे।
- (य)(घ) सामान्यतः अग्निशमन सेवा समुचित रूप से प्रदान करने एवं उनके कर्तव्यों के दुरुपयोग या अवहेलना को रोकने के प्रयोजनार्थ;
- (य)(ङ) और कोई अन्य बात, जो कि नियमावली द्वारा अपेक्षित या उपबंधित हो या हो सकेगी।

64. नियमों और विनियमों का बिहार राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना।- इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल 14 दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र

के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति उस नियम या विनियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित रूप में होगा अथवा नहीं होगा फिर भी ऐसा कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम या विनियम के अधीन पहले किये गए कुछ भी किये गए की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

65. शक्तियों का प्रत्यायोजन।-(1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन प्रयोज्य कोई शक्ति, अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन, सरकार के पदाधिकारियों में से किसी के द्वारा प्रयोज्य होगी।

(2) निदेशक, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग या अधिरोपित कोई कर्तव्य का निर्वहन, उस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट अग्निशमन सेवा के किसी पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

66. निरसन और व्यावृत्ति।- (1) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, 37, 1948), एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, किसी स्थानीय प्राधिकार का निम्नलिखित सामान्य दायित्व परिसीमित, उपान्तरित या अल्पीकृत किया गया नहीं समझा जायेगा :-

- (क) अग्निशमन के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथानिदेशित जलापूर्ति और अग्निशमन-नल का उपलब्ध कराना एवं उनका अनुरक्षण करना;
- (ख) खतरनाक व्यापारों के विनियमन हेतु उपविधि बनाना ;
- (ग) अग्निशमन में सहायता देने हेतु अग्निशमन सेवा के किसी कर्मचारियों को ऐसा आदेश देना, जब उन्हें युक्तियुक्त रूप से बुलाया जाय ;
- (घ) अग्नि की संभावना को कम करने या अग्नि विस्तार को रोकने के उपायों का सामान्य दायित्व लेना।

67. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों से संगत ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो उस कठिनाई के निराकरण हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ;

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, निर्गत होते ही, यथा सम्भव शीघ्र बिहार विधान-सभा के समक्ष रखा जायेगा।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।**

27 मार्च 2014

सं0 एल0जी0-1-25/2013/51/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 मार्च 2014 को अनुमत बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।**

BIHAR FIRE SERVICE ACT, 2014**[Bihar Act 6, 2014]****AN
ACT**

Preamble –To provide for better regulation of fire fighting, carrying out fire fighting measures, enforcing fire safety measures in any building, enforcing effective fire prevention and fire safety in all types of buildings, premises and temporary structures and for modern organisational structures of the Bihar Fire Service in the State of Bihar.

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty fifth year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement— (1) This Act may be called the Bihar Fire Service Act, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force in any area on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different areas and for different provisions of this Act.

**CHAPTER – I
PRELIMINARY**

2. Definitions – In this Act, unless the context otherwise requires,

(a) “appellate authority” means the Director General of Fire Services, Government of Bihar, appointed by the Governor of the State of Bihar.

(b) “building” means any structure whether of masonry bricks, woods, mud, metal or other materials and includes a house, out-house, basement, underground parking, stable, latrine, urinal, shed, hut or wall (other than a boundary wall);

(c) “building bye laws” means the bye-laws made under the Bihar Municipal Act, 2007.

(d) “Director” means the Director, Bihar Fire Service appointed by the Government under sub-section (1) of Section 8 of this Act;

(e) “erector of pandal” means a person or an association of persons, whether corporate or otherwise, who erects or makes a pandal or any structure for occupation of people on a regular or temporary basis.;

(f) “fire division” means such number of fire sub-divisions as may be prescribed; in the State of Bihar and declared generally or specially by the Government to be a fire division for the purpose of this Act;

(g) “fire prevention and fire safety measures” means such measures as are necessary in accordance with the building bye-laws / National Building Code of India for the containment, control and extinguishing of fire and for ensuring the safety of life and property in case of fire and as may be prescribe in the rules made in this behalf;

(h) Divisional Fire Officer appointed by the Government of Bihar under section 9 of this Act.

(i) Assistant Divisional Fire Officer appointed by the Director General Fire Service under section 9 of this Act.

(j) “fire safety officer” means the person appointed under section 29 of this Act as fire safety officer by the owners and occupiers of certain premises and buildings as specified in this behalf to ensure fire prevention and fire safety measures installed in such premises and buildings;

(k) “fire officer” means operational member of the Fire Service .

(l) “Fire Service” means the Bihar Fire Service constituted under section 5 of this Act;

(m) “fire station” means a building erected to house the fire fighting equipment, appliances and staff declared generally or specially by the Government to be a fire station for the purpose of this Act.

(n) “fire sub-division” means a fire sub-division comprising such number of fire stations as may be prescribed and declared generally or specially by the Government to be a fire sub-division for the purpose of this Act.

(o) “Government” means the Government of Bihar.

(p) “Governor” means the Governor of Bihar appointed by the President under article 155 of the Constitution.

(q) “member” in relation to the Fire Service means a person appointed to the Fire Service under this Act;

(r) “multistoried building” means a building with such minimum height as may be prescribed under the rules in this behalf and notified to the Director by the local authority.

(s) “nominated authority” means an officer not below the rank of a Station Officer nominated by the Director as a nominated authority for the purpose of this Act.

(t) “occupancy” means the principal occupancy for which a building or a part of a building is used or intended to be used including subsidiary occupancies which are contingent upon it;

(u) “occupier” includes –

(i) any person who, for the time being, is paying or is liable to pay, to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable.

(ii) an owner in occupation of or otherwise using his land or building;

(iii) a rent – free tenant of any land or building ;

(iv) a licensee in occupation of any land or building; and

(v) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building;

(v) “officer-in-charge” means a fire officer in charge of a Fire Station;

(w) “operational member of the Fire Service” means any member of the Fire Service who is required to drive to operate a fire fighting vehicle, fire fighting equipment and appliance at the site of fire and participate in the actual extinction of fire.

(x) “owner” includes a person who, for the time being, is entitled to receive, the rent of any land or building, whether on his own account or own account of himself and others or as an agent, trustee, guardian or receiver or any other person or who should show receipt of the rent or be entitled to receive it if the land or building or part thereof where let to a tenant and includes the custodian of evacuee property in respect of evacuee property in him under the Bihar Building (Lease, rent & eviction) Control Act 1982 and Rules 1983, as amended and other relevant Act & Rules.

(y) “pandal” means a temporary structure with roof or walls made of straw, hay, ulu grass, golpatta, hogla, derma, mat, canvas, cloth or other like material which is not adopted for permanent or continuous occupancy;

(z) “premises” means any land or any building or part of a building and includes the garden ground and out house, if any, appurtenant to building or part of a building, and any land or any building or part of a building appurtenant thereto which is used for storing explosives explosive substance and dangerously inflammable substance;

Explanation – In this clause, “explosive”, “explosive substance” and “dangerously inflammable substance” shall have the meaning, respectively assigned to them in the Explosive Act, 1884 (4 of 1884), the Explosive (Substances) Act, 1908 (6 of 1908) and the Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952).

(a a) “prescribed” means prescribed by Rules made under this Act.

(a b) “prescribed authority” means authority prescribed by the Rules made under this Act.

(a c) “Sub-Divisional Magistrate” means an officer of the Government appointment as Sub-Divisional Magistrate under sub-section (4) of section 20 of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974).

(a d) “Subordinate Operational Staff” includes every member of the Fire Service of the rank of fireman, leading fireman, driver and any other equivalent rank;

(a e) “Fire Station Officer” means an officer of the Fire Service appointed as fire station officer by the Government/Director General of Fire Services

(a f) Fire Consultant & Fire Advisor means having minimum technical qualification Bachelor of Fire Engineering. or M.I. Fire Engineering. or equivalent with minimum 10 yrs. experience.

CHAPTER – II

ORGANISATION, SUPERINTENDENCE CONTROL AND MAINTENANCE OF THE FIRE SERVICE

3. One Fire Service for whole of Bihar – There shall be one fire service for the whole of Bihar and all officers and employees of sub-ordinate ranks of the Fire Service shall be liable for posting to any part of Bihar.

Provided that this provision shall not apply to the private fire services maintained for providing fire protection coverage to specific building or industry by the owner or occupier thereof.

4. Superintendence of Fire Service to vest in the D.G. Fire Service – The superintendence of and control over, the Fire Service throughout Bihar shall vest in the Director General Fire Service assisted by the Director State Fire Service or other officer notified by the Government from time to time.

5. Constitution of Fire Service – Subject to the provisions of this Act, -

(a) the Fire Service shall consist of such number of posts in the several ranks and have such organization and such powers, functions and duties as the Government may by general or special order, determine; and

(b) the recruitment to, and the pay, allowances and all other conditions of service of the members of, the Fire Service shall be such as may be prescribed.

6. Classification of post of Fire Service – The classification of the posts of the Fire Service shall be as follows :-

(1) Group ‘A’ post means any post which having regard to its scale post had been in the State Government, be classified as a Group ‘A’ post under the State Government in accordance with the orders issued by that Government from time to time.

(2) Group ‘B’ post means any post which having regard to its scale of pay and emoluments would, if such post had been in the State Government, be classified as a Group ‘B’ post under the State Government in accordance with the orders issued by that Government from time to time.

(3) Group ‘C’ post means any post which having regards to its scale of pay and emoluments would, if such post had been in the State Government, be

classified as a Group 'C' post under the State Government in accordance with the orders issued by that Government from time to time.

- (4) Group 'D' post means any post which having regard to its scale of pay and emoluments would, if such post had been in the State Government, be classified as Group 'D' post under the State Government in accordance with the orders issued by that Government from time to time.

7. Appointments to Group 'A' and Group 'B' post of Fire Service – The Government shall make appointments to any Group 'A' or Group 'B' posts within the meaning of sub-section (1) and sub-section (2) of Section 6 respectively, only after consultation with the Bihar Public Service Commission or as per the relevant guideline of the Bihar Govt.

8. Appointment of Director of Fire Service – (1) For the directions and supervision of the Fire Service in Bihar, the Government shall appoint a Fire Officer to be the Director who shall exercise such powers and perform such duties and other functions as are specified by or under this Act.

(2) Subject to the rules made in this regard by the Government, the Director may appoint subordinate staff of Group 'C' level including operational members of this category only on the recommendations of the Bihar State Subordinate Services Selection Board or any other selecting authority as the Government may, by notification, prescribe, on monthly salaries and such allowances as may be fixed by the Government.

(3) Subject to rules made in this regard by the Government, the Director may appoint Group 'D' staff including operational members of this category on monthly salaries and such allowances as may be fixed by the Government.

9. Constitution of fire division, sub-divisions and fire stations – The Government may –

- (a) constitute fire zones and fire divisions within the Bihar State.
- (b) divide such fire Zones into fire divisions, and fire divisions into fire sub-divisions, and specify the fire divisions, fire sub-divisions and fire stations in fire zone, fire division and fire sub-division respectively; and
- (c) define the limits and extent of , fire divisions, fire sub-divisions and fire stations as may be necessary for administrative and operational efficiency.

10. Certificate of appointment— (1) Every fire officer of the rank of sub-officer and below shall, on enrolment receive a certificate of appointment.

(2) The certificate shall be issued under the seal of such officer and shall be in such form as the D.G. Fire Service may, by general or special order, prescribe.

(3) A certificate of appointment shall become null and void when the person named therein ceases to belong to the Fire Service or shall remain inoperative during the period such person is suspended from the Fire Service.

(4) The members of the Fire Service shall be governed by such rules as are applicable to Government servants in relation to the terms and conditions of their service and all other allied matters.

11. Effect of suspension of fire officer.—The powers, functions and privileges vested in a fire officer shall remain suspended while such fire officer is under suspension from office:

Provided that notwithstanding such suspension, such person shall not cease to be a fire officer and shall continue to be subject to the control of same authorities to which he would have been if he had not been under suspension.

12. General powers of the Director.—The Director shall subject to the superintendence and control of the D.G. Fire Service, direct and regulate all matters of fire fighting equipment, machinery and appliances, training, observation of persons and events mutual relations, distribution of duties, study of laws, orders and modes of proceedings and all matters of executive detail or the fulfillment of duties and maintenance of discipline of fire officers and members of the Fire Service under him.

CHAPTER-III

CONTROL AND DISCIPLINE OF FIRE SERVICE

13. Calling of returns, reports, statements, etc.— The Government may call for such returns, reports and statements on any subject connected with fire prevention and fire safety, the maintenance of order and the performance of duties by the Director, fire officers, operational members, members and subordinate operational staff, and the same shall be immediately furnished.

14. Certain State Rules to apply to employees of Fire Service.—The provisions of the Bihar Government Servant conduct Rules, 1976, Bihar Government Servant (classification, control and Appeal) Rules, 2005 and Bihar Pension Rule 1950 as amended, from time to time, shall be extended mutatis mutandis to all employees of the Bihar Fire Service including fire officers, operational members, members and subordinate operational staff.

15. Fire officers deemed to be always on duty and liable to employment in any part of State.—Every fire officer shall for all purpose of this Act be deemed to be always on duty and any fire officer or any member or crew of fire officers allocated for duty in any part of the State may, if the Director so directs, at any time, be employed on turn out duty in any other part of the State for so long as the services of the fire officer or any member or crew of fire officers may be required in such other part of Bihar.

16. Extension of Fundamental Rules and Supplementary Rules to employees of Fire Service.—The provisions of the Fundamental Rules and Supplementary Rules as amended by the Bihar Government from time to time, shall be extended mutatis mutandis to all employees of the Bihar Fire Service, including fire officers, operational members, members and subordinate operational staff.

17. Declaration of Fire Service to be an essential service to the community.—
(1) Without prejudice to the provisions of any other law on the subject for the time being in force, the Government may, by notification in the Official Gazette, declare the Fire Service to be an essential service to the community.

(2) A declaration made under sub-section (1) shall remain in force for six months in the first instance, but may be extended from time to time by a like notification.

(3) Upon a declaration being made under sub-section (1) and so long as it remains in force, it shall be the duty of every fire officer to obey an order given by any superior officer in relation to any employment in connection with the service specified in the declaration.

18. Penalty for violation of duty.—Notwithstanding any action which may be taken under the provisions of this Act, any member of the Fire Service who—

- (a) is found to be guilty of any violation of duty or willful breach of any provision of this Act or any rule or order made thereunder; or
- (b) is found to be guilty of cowardice; or
- (c) withdraws or abstains from the duties of his office without permission or without having given previous notice for fifteen days or more; or

- (d) being absent on leave fails without reasonable cause to report himself for duty on expiration of such leave; or
- (e) accepts any other employment or office or engages himself in business in contravention of the provision of the Bihar Government Servant Conduct Rules, 1976; shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with, fine which may extend to an amount not exceeding three months pay of such member; or with both;

19. Restrictions respecting right to form association, etc.—(1) No member of the Fire Service shall, without the previous sanction in writing of the Government or of the prescribed authority;

(a) be a member of, or be associated in any way with, any union, labour union, political association or with any class of trade union, labour union or political association;

(b) be a member of, or be associated in any way with any social institution, association, or organization that is not recognized as a part of the Fire Service Or is not a purely of a social, technical, recreational or religious nature; or

(c) communicate with the press or publish or cause to be published any book, letter or other document except where such communication or publication is in the bonafide discharge of his duties or is of a purely literary, artistic or scientific character.

Explanation.—(1) If any question arises as to whether any society, institution, association, organization is of a purely social, technical, recreational or religious nature under clause (b) of this sub-section, the decision of the Government thereon shall be final.

(2) No member of the Fire Service shall participate in, or address, any meeting or take part in any demonstration organized by any body or persons-for any political purposes or for such other purposes as may be prescribed.

CHAPTER-IV

LEVY OF FIRE TAX, FEE AND OTHER CHARGES

20. Levy of fire tax.—(1) The Government may levy a fire tax on lands and buildings which are situated in any area in which this Act is in force and on which, property tax, by whatever name it is called, is levied by any local authority in that area.

(2) The fire tax shall be levied in the form of a surcharge on the property tax at such rate in terms of percentage of such property tax as the Government may, by notification in the Official Gazette, determine from time to time.

21. Mode of assessment, collection, etc. of fire tax.—(1) The authorities empowered to assess, collect and enforce payment of property tax under the law, authorizing authority the area such tax shall, on behalf of the Government and subject to any rules made under this Act, assess, collect and enforce payment of the same manner as the property tax is assessed, paid and collected; and for this purpose they may exercise of the powers they have under the law aforesaid to and the provisions of such law including provision relating to returns, appeals, reviews, references and penalties shall apply accordingly.

(2) Such portion of the total proceeds of the fire tax as the Government may determine shall be deducted to meet the cost of collection of the fire tax.

(3) The proceeds of the Fire tax collected under this Act reduced by the cost of collection shall be paid to the Government in such manner and at such intervals as may be prescribed:

22. Fee on deployment of Fire Service beyond the limits of Bihar.—(1) Where members of the fire Service are sent beyond the limits of any area in which this Act is in force, in order to extinguish a fire in the neighbourhood of such limits on the request of any

State Government or local body or fire service authority shall be liable to pay such fee as may be prescribed by the Government from time to time in this behalf.

(2) The fee referred to in sub-section (1) shall be payable within one month of the Service of a notice of demand by the Director on the State Government or local body or fire service authority, as the case may be, and if it is not paid within that period, it shall be recoverable as an arrear of land revenue.

23. Reciprocal fire-fighting arrangements with other fire service.—The Director may, with the previous sanction of the Director General Fire Service or the Government, enter into an agreement with any fire service or the authority which maintains the said fire service, beyond the limits of any area in which this Act is in force for providing personnel of equipment or both, for fire fighting purposes, on such terms as may be provided by or under the agreement on reciprocal basis in public interest.

24. Powers of the Director to enter into arrangements for assistance.—The Director may, with the previous sanction of the Director General Fire Service or the Government, enter into arrangements with any person or organization who employs and maintains personnel or equipment or both, for fire fighting purposes, to secure, on such terms as to payment or otherwise as may be provided by or under the arrangements, the provision by that person or organization for assistance for the purpose of dealing with fire occurring in any area in which this Act is in force.

CHAPTER-V

GENERAL MEASURES FOR FIRE PREVENTION AND SELF REGULATION

25. Preventive measures.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, declare any class of occupancy and pandals which, in its opinion, is likely to cause a risk of fire.

(2) The Government may, by notification in the Official Gazette, require owner or occupiers, or both, of premises or buildings or erectors of pandals notified under sub-section (1), to take such fire prevention and fire safety measures as may be prescribed.

26. Fire prevention and fire Safety measures in the pandals to be self regulatory.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the erectors of pandals shall be deemed to be self -regulators for taking fire prevention and fire safety measures prescribed under sub-section (2) of Section 25.

(2) The erector of a pandal shall display at a prominent place in the pandal a declaration in the prescribed form and under his own signature to the effect that he has taken all the prescribed fire prevention and fire safety measures therein.

(3) It shall be lawful for the Director, nominated authority or any other officer authorized by the Government or Director General in this behalf to enter and inspect the pandal with a view to verify the correctness of the declaration so made by the erector under sub-section (2) and to point out the shortcomings, if any, with directions to remove them within a specified time. If the directions of the inspecting officer are not complied with within the time so given, the inspecting officer shall seal the pandal.

(4) Any erector of a pandal who falsely declares that he has complied with the prescribed fire prevention and fire safety measures in the pandal shall be deemed to have committed an offence punishable under Section 52 of this Act.

27. Removal of encroachments or objects or goods likely to cause risk of fire or any obstruction to fire fighting.—(1) Where a notification has been issued under Section 25 it shall be lawful for the Director or any officer of the Fire Service authorized by the Government in this behalf direct the removal of encroachments objects or goods likely to cause a risk of fire or any obstruction to fire fighting, to a place of safety, and on failure of

the owner, occupier or erector, as the case may be, to do so, the Director or such officer may, after giving the owner or occupier or erector, as the case may be, a reasonable opportunity of making representation, report the matter to the Sub-Divisional Magistrate, in whose territorial jurisdiction the premises or building or pandal is situated, requesting to adjudicate the matter:

Provided that where the Director considers such encroachments or objects or goods to be an imminent cause of risk of fire or obstruction to fire fighting, he may direct the owner or the occupier or erector of such premises or building to remove the encroachments or objects or goods forthwith and report the matter to the Sub-Divisional Magistrate accordingly.

(2) On receipt of a report under sub-section (I), the Sub-Divisional Magistrate shall give, by means of a notice served in such manner as he may think fit, a reasonable opportunity of showing cause against the removal of encroachment or objects or goods likely to cause a risk of fire or obstruction to fire fighting.

(3) After giving the owner or occupier or erector, as the case may be, a reasonable opportunity of making representation under sub-section (2), the Sub-Divisional Magistrate may make an order to seize, detain or remove such encroachments or objects or goods.

(4) The person charged with the execution of the order as made in sub-section (3) shall forthwith make an inventory of the objects and goods which he seizes under such order, and shall, at the same time, give a written notice as may be prescribed in this behalf, to the person in possession thereof at the time of seizure, that the said objects or goods will be sold as therein mentioned if the same are not claimed within the period stipulated in the said notice.

(5) On the failure of the person in whose possession the objects or goods were at the time of seizure to claim the seized goods pursuant to notice given under sub-section (4), the Sub-Divisional Magistrate shall sell them accordingly by public auction.

(6) Any person aggrieved by any notice or order of the Sub-Divisional Magistrate may, within thirty days from the date of such order, prefer an appeal to the Appellate Authority;

Provided that the Appellate Authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if he is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(7) An appeal to the Appellate Authority shall be made in such form and shall be accompanied by a copy of the notice or order appealed against and by such fees as may be prescribed:

(8) An order of the Appellate Authority on an appeal under sub-section (7) shall be final.

28. Powers of members of the Fire Service on occasion of fire and/or rescue.—

On the occasion of fire rescue in any area in which this Act is in force, any member of the Fire Service who is in charge of fire fighting operations on the spot may—

- (a) remove, or order any other member of the Fire Service to remove, any person who by his presence interferes with or impedes the operation for extinguishing the fire or for saving life or property;
- (b) close any street or passage in or near which a fire is being fought and/or rescue work is in progress;
- (c) for the purpose of extinguishing fire and carrying out rescue operation, break into or through or pull down, any premises for the passage of hose or

- appliances or cause them to be broken into or through or pulled down, doing as little damage as possible;
- (d) require the authority in charge of water supply in the area to regulate the water mains so as to provide water at a specified pressure at the place where fire has broken out and utilize the water of any stream, cistern, well or tank or of any available source of water, public or private, for the purpose of extinguishing or limiting the spread of such fire and carrying out rescue operations;
 - (e) exercise the same powers for dispersing an assembly of persons likely to obstruct the fire fighting operations as it were an officer-in-charge of a police station and as if such an assembly were an unlawful assembly and shall be entitled to the same immunities and protection as such officer, in respect of the exercise of such powers;
 - (f) arrest a person who wilfully obstructs and hinders a fire service personnel in fire fighting and rescue operations and shall hand him over to a police officer or at the nearest police station without avoidable delay along with a brief note giving the time, date and reasons of arrest; and
 - (g) generally take such measures as may appear to him to be necessary for extinguishing the fire or for the protection of life or property, or both.

29. Appointment of fire safety officer.—Every owner and occupier or an association of such owners and occupiers of the following classes of buildings or premises shall appoint a fire-safety officer who shall ensure the compliance of all fire prevention and fire safety measures and effective operation thereof as provided in this Act and the rules made thereunder, namely :—

- (a) cinema houses with seating capacity of more than 1000 persons and having commercial complex with built-up area more than 10000 sq. mtr. and building having multiple cinema with seating capacity, taken together, of 1000 persons, or more, whether, having commercial complexes or not;
- (b) hotels with 100 rooms and above;
- (c) underground shopping complexes, district centers, sub-central business districts, including the basement with built up area of more than 25000 sq. mtr.;
- (d) multistoried non-residential buildings above 50 meters in height
- (e) large oil and natural gas installations such as refineries, LPG bottling plants and similar other facilities;
- (f) open stadia with seating capacity more than 50,000 persons and indoor stadia with seating capacity more than 25,000 persons;
- (g) hospitals and nursing homes with more than 500 beds;
- (h) public and semi-public buildings like 'large surface and sub-surface railway stations, interstate bus terminuses, airports amusement parks and other similar buildings;

Provided that the Government may, by notification in the official Gazette, from time to time, include any other premises which in its opinion, require appointment of fire safety officers.

30. Fire safety officers to undergo training.—The fire safety officers shall undergo training at the Fire Safety management Academy as may be specified by the Government in this behalf:

Provided that a person who has already undergone such training at the National Fire Service Collage, Nagpur or at any other equivalent institution recognized by the Government, shall not be required to undergo such a training.

31. Penalty in case of default of non-appointment of fire Safety officer.—(1) If any owner or occupier or an association of such owners and occupiers of a building or premises fails to appoint under section 29, fire safety officer within thirty days, of the receipt of a notice given in this behalf by the Director or the nominated authority, as the case may be, each one of them shall be deemed to be in default jointly and severally.

(2) When the person liable for appointment of such fire safety officer is deemed to be in default, such sum not less than ten rupees per square meter and not exceeding fifty rupees per square meter of area owned or occupied by him including in the common areas in the premises as determined by the Director, may be recovered from him by way of penalty for each month of default or part thereof.

(3) The amount due as penalty under sub-section (2) shall be recovered as an arrears of land revenue.

CHAPTER-VI

SPECIAL PROVISION FOR THE FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY MEASURES IN CERTAIN BUILDINGS AND PREMISES IN BIHAR

32. Special provision for multistoried building.— Notwithstanding anything contrary to the provision contained in this Act, the multistoried buildings shall be governed by the provisions of the fire prevention and fire safety measures hereinafter stipulated. The Govt. may registered Fire Consultant or appoint Fire Advisor for implementation of Fire Prevention measures in multi-storied building & for special premises as prescribed by rules framed under this act.

33. Inspection of buildings, premises, etc.—(1) The nominated authority may, after giving three hours notice to the occupier, or if there be no occupier, to the owner of any building having such height as may be specified by rules framed under this Act or premises, enter and inspect the said building or premises at any time between sunrise and sunset where such inspection appears necessary for ascertaining the adequacy or contravention of fire protection and fire safety measures:

Provided that the nominated authority may enter into and inspect any building or premises at any time if it appears to it to be expedient and necessary to do so in order to ensure safety of life and property.

(2) The nominated authority shall be provided with all possible assistance by the owner or occupier, as the case may be, of the building or premises for carrying out the inspection under sub-section (1).

(3) When any building or premises used as a human dwelling is entered under sub-section (1) due regard shall be paid to the social and religious sentiments of the occupiers; and, before any apartment in the actual occupancy of any women who, according to the custom does not appear in public, is entered under sub-section (1), notice shall be given to her that she is at liberty to withdraw, and every reasonable facility shall be afforded to her for withdrawing.

34. Measures for fire prevention and fire safety.—

(1) The nominated authority shall, after the completion of the inspection of the building or premises under Section 33 record its views or the deviations from or the contravention of the building bye-laws with regard to the fire prevention and fire safety measures and the inadequacy of such measures (provided therein with reference to the height of the building or the nature of activities carried on in such building or premises and issue a notice to the owner or occupier of such building or premises directing him to undertake such measures as may be specified in the notice.

(2) The nominated authority shall also give a report of any inspection made by it under Section 33 to the Director.

35. Provision regarding certain building and premises.—(1) Notwithstanding anything contained in any other law for time being in force the Director or the nominated authority may enter and inspect any building, the construction of which was completed on or before the commencement of this Act or any building which was under construction on such date in such inspection appears necessary for ascertaining the adequacy of fire prevention and fire safety measures in such buildings.

(2) The entry and inspection under sub-section (1) shall be done by the Director or the nominated authority in the manner laid down in Section 33.

(3) The Director or the nominated authority, as the case may be, shall, after inspection of the building or premises under sub-section (1), and after taking into consideration.—

- (i) the provisions of the building bye-laws in accordance with which the plan of this said building or premises was sanctioned;
- (ii) the conditions imposed, if any, by the local authority at the time of the sanction of the plan of the said building or premises; and
- (iii) the minimum standards for fire prevention and fire safety measures specified for such building or premises as may be specified by rules framed under this Act;

issue a notice to the owner or occupier of such building or premises stating therein the inadequacy in regard to the fire prevention and fire safety measures in it and direct the owner or occupier to under take measures for rectifying the said inadequacy within the period as he may consider just and reasonable.

(4) The nominated authority shall also give a report of any inspection made by it under sub-section (1) to the Director.

36. Appeals.—(1) Any person aggrieved by any notice or order of the nominated authority or the Director issued or made under this chapter may prefer an appeal against such notice or order to the Appellate Authority within thirty days from the date of the notice or order appealed against:

Provided that the Appellate Authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if he is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(2) An appeal to the Appellate Authority shall be made in such form and shall be accompanied by a copy of the notice or order appealed against and by such fees as may be specified by rule framed under this Act.

(3) An order of the Appellate Authority on an appeal under sub-section (1) shall be final.

37. Penalties for violation of provisions of Chapter VI.—Whoever contravenes any provision of this Chapter shall, without prejudice to any other action taken against him under this Act and rules made there under, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to three thousand rupees for every day after the first during which such offence continues.

CHAPTER-VII
MISCELLANEOUS

38. Establishment of fire training institute.—

(1) The Government may establish and maintain fire training institute in Bihar to be known as the “Fire Safety Management Academy” for providing courses of instruction in the prevention and extinguishment of fire of the Fire Service personnel and private candidate from industries, hotels, multi-storied buildings and similar others government and non-government establishments as specified in section 29.

(2) The Government may extend the training facilities at the academy to be established under sub-section (1) to the fire services under the control of local bodies and industrial undertakings as well as to the state fire services of other States on payment of charges as may be prescribed.

(3) Subject to the observance of the general rules applicable to other employees of the Government in relation to training, the members of the Fire Service may be given training in the field of scientific and modern techniques of fire protection and fire safety measures, and allied matters in any institute, within or out of India at the cost and expense of the Government for the administration of the provisions of this Act.

(4) A fire officer who undergoes training as provided in sub-section (3), shall indemnify the Government to reimburse all such expenses and costs, including the pay and allowances as may be paid to him during the course of training, if he does not serve the Fire Service for a stipulated tenure binding on him in this behalf.

39. Transfer to other area.—The Director or any fire officer authorized by the Government in this behalf may, on the occasion of a fire or other emergency in any neighbouring area in which this Act is not in force, order the dispatch of the members of the Fire Service with necessary appliances and equipment to carry out fire fighting operations in such neighboring area and thereupon all the provisions of this Act and the rules made there under shall apply to such areas, during the period of fire emergency or during such period as the Director may specify on such charges as may be prescribed from time to time.

40. Employment on other duties.—It shall be lawful for the Government or any officer authorized by it in this behalf, to employ the Fire Service in any rescue, salvage or other works for which it is suitable by reason of its training, appliances and equipment.

41. Liability of property owner to pay compensation.—(1) Any person whose property catches fire on account of an action of his own or of his agent done deliberately or negligent shall be liable to pay compensation to any other person suffering damage to his property on account of any action taken under Section 28 of this Act or by the officer mentioned therein or any person acting under the authority of such officer.

(2) All claims under sub-section (1) shall be preferred to the Appellate Authority, within thirty days from the date when the damage was caused.

(3) The Appellate Authority, shall, after giving the party an opportunity of being heard, determine the amount of compensation due and pass an order stating such amount and the person liable for the same, and the order so passed shall have the force of a decree of a Civil Court.

42. Power to obtain information.—The Director or any fire officer, authorized by general or special order in this behalf, may, for the purpose of discharging his duties under this Act, require the owner or occupier of any building or other property as may be specified, to supply information with respect to the character of such building or other property as may be specified, the available water supplies and means of access thereto any

other material particulars, and such owner or occupier shall furnish all the information in his possession.

43. Power of entry.—

(1) The nominated authority may enter any of the places specified in any notification issued under sub-section (1) of Section 25 for the purpose of determining whether preventive and safety measures against fire required to be taken on such place have been so taken.

(2) The nominated authority shall, after the completion of the inspection of the building or premises under sub-section (1) record its views on the deviations from or the contravention of, the notification issued under subsection (2) of Section 25 with regard to the fire prevention and fire safety measures and the inadequacy of such measures provided therein with reference to the occupancy of the building or the nature of activities carried on in such building or premises and issue a notice to the owner or occupier or such building or premises directing him to undertake such measures as may be specified in the notice.

(3) The nominated authority shall also give a report of any inspection made by it under sub-section (1) to the Director.

(4) Save as otherwise expressly provided in this Act, no claim shall lie against any person for compensation for any damage necessarily caused by any entry made under sub-section (1).

44. Power to seal buildings or premises.—

(1) Where, on receipt of a report from the nominated authority under sub-section (2) of Section 34 or sub-section (4) of Section 35 or sub-section (3) of Section 43, or suo-moto, it appears to the Director that the condition of any building or premises is dangerous to life or property, he shall, without prejudice to any action taken under this Act, by order, require the person in possession or occupation of such building or premises to remove themselves from such building or premises forthwith.

(2) If an order made by the Director under sub-section (1) is not complied with, the Director may direct any police officer having jurisdiction in the area to remove such persons from the building or premises and such officer shall comply with such directions.

(3) After the removal of the persons under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, the Director shall seal the building or premises.

(4) No person shall remove such seal except under an order made by the Director.

(5) Any person who removes such seal except under an order made by the Director, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to twenty five thousand rupees, or with both.

45. Compensation of water.—No charge shall be made by any local authority for water consumed in fire fighting operations by the Fire Service.

46. No compensation for interruption of water supply.—No authority in charge of water supply in any area shall be liable to any claim for compensation for damage by reason of any interruption of supply of water occasioned only by compliance of such authority with the requirement specified in clause (d) of section 28.

47. Police officers and others to aid.—Every police officer, government and private agency or person is bound to assist the members of the Fire Service reasonably demanding his or its aid in the execution of their duties under this Act.

48. Failure to give information.—Any person who without just cause fails to communicate information in his possession regarding an outbreak of fire shall be deemed to have committed an offence punishable under the first part of Section 176 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

49. Failure to take precautions.—Whoever fails without reasonable cause to comply with any of the requirements specified in a notification issued under sub-section (1) of Section 25 or a direction issued under sub-section (2) of that section shall be punishable with fine which may extend to ₹ 1000 (Rs. one thousand) or with imprisonment for a term which may extend to three months, or with both and where the offence is a continuing one, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the first during which such offence continues.

50. Penalty for wilfully obstructing the fire fighting, rescue operations.—Any person who wilfully obstructs or interferes with any member of the Fire Service who is engaged in fire fighting operations, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

51. False report.— any person who knowingly gives or causes to be given a false report of the outbreak of a fire to any person authorised to receive such report by means of a statement, message or otherwise shall be, punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

52. General provision for punishment for offence.—Whoever contravenes any provision of this Act or of any rule or notification made there under shall, without prejudice to any other action taken against him under this Act and the rules made there under, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the first during which such offence continues.

53. Fire Service functioning in Bihar immediately before the commencement of this Act to be deemed to be Fire Service Constituted under this Act.—Without prejudice to the provisions contained in any other law for the time being in force.

(a) the fire service functioning in Bihar before the commencement of this Act “the existing Bihar Fire Service” shall, on such commencement, be deemed to be the Fire Service constituted under this Act and every member of the existing Bihar Fire Service holding the office, shall be deemed to be appointed and to hold the office, under this Act;

(b) all proceedings pending before any fire officer of the existing Bihar Fire Service, immediately before the commencement of this Act be deemed to be proceedings pending before him in his capacity as the holder of the office to which he is deemed to be appointed under clause (a) and shall be dealt with accordingly.

54. Compounding of offences.—(1) Any offence whether committed before or after the commencement of this Act punishable under sections 26,27,31,37,44,48,49, 50,51 and 52 or any rule made under this Act, may be compounded by such officers of the Fire Service and for such amount as the Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that no offence shall be compoundable which is committed by failure to comply with a notice, order or requisition issued by or on behalf of the Government or of any of the officers authorized under this Act and until the same has been complied with so far as the compliance is possible.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender if in custody, shall be set at liberty and no proceeding shall be instituted or continued against him in respect of such, offence.

55. Bar of jurisdiction of Court.—No court shall entertain any suit, application or other proceedings in respect of any notice or order under this Act and no such notice or order shall be called in question otherwise than by preferring an appeal under this Act.

56. Cognizance for prosecution.—No court shall proceed to the trial of an offence under this Act, except on the complaint of, or upon information received from, the Director or the officer authorized by him in this behalf.

57. Jurisdiction .-No court inferior to that of a Judicial Magistrate first class shall try an offence punishable under this Act.

58. Protection of action taken in good faith—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made there under.

59. Special promotion to the subordinate operational staff.—To encourage outstanding sportsmen, marks men, officers and other subordinate staff who have shown exceptional gallantry and devotion to duty in saving the life and property, the Director may, with the prior approval of the Government, promote such officers out of turn to the next higher rank provided vacancies exists. Such promotions shall not exceed ten percent of the sanctioned strength in such ranks. For purposes of seniority such promotes shall be placed at the bottom of the promotion list drawn up for that year.

60. Death of member of Fire Service.—In the event of a member of the Fire Service (other than a gazetted officer), dying while on active duty, the Government shall pay, subject to the maximum limit of ₹ 5000 (Rs. five thousand) to the next of kin as funeral expenses.

61. Officers to be public servants.— Every officer acting under the provisions of this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

62. Offences by companies.—(1) Where an offence under this Act has, been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in subsection (1) where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part, of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—for the purposes of this section,

- (a) “Company” means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) “Director”, in relation to a firm, means a partner in the firm.

63. Power to make rules/Regulations :—(1) The Government may by notification in the Official Gazette, make rules/regulations for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

- (a) recruitment to, and the pay, allowances and all other conditions of service of the members of the Bihar Fire Service under clause (b) of Section 5;
- (b) constitution of fire division comprising such numbers of fire sub-divisions under clause (a) of Section 9;
- (c) constitution of fire sub-divisions comprising such numbers of fire stations under clause (b) of Section 9;
- (d) Form of certificate of appointment and fire officer under whose seal such certificate of appointment shall be issued under sub-section (2) Of Section 10;
- (e) Purposes of meetings or demonstrations under sub-section (2) of Section 19;
- (f) Mode of assessment, collection and enforcement of payment of fire tax levied under Section 21;
- (g) Manner in which fire tax collected under Section, 21 shall be paid to Government;
- (h) fee on deployment of Fire Service beyond the limits of Bihar under sub-section (1) of Section 22 and under Section, 39;
- (i) terms for reciprocal firefighting arrangements with other fire services under Section 23;
- (j) the minimum standards for fire prevention and fire safety measures for the purposes of subsection (2) of Section 25, Section 32 and-clause (i) of sub-section (3) of Section 35;
- (k) form of declaration under sub-section (2) of Section 26;
- (l) form of notice under sub-section (4) of Section 27;
- (m) the height of the building under sub-section (1) of Section 33;
- (n) form of appeal and fees under sub-section (7) of Section 27 and sub-section (2) of Section 36;
- (o) charges for extending training facilities at Fire Safety Management Academy to others under sub section (2) of Section 38 ;
- (p) officers of the Fire Service, and the amount for compounding of offenses under sub-section (1) of Section 54;
- (q) making available to the Fire Service with such, appliances and equipment as it deems proper;
- (r) the adequate supply of water to securing that it shall be available for use;
- (s) constructing or providing fire stations or hiring places for accommodating the members of the Fire Service and its fire fighting appliances;
- (t) giving rewards to persons who have given notice of fires and to those who have rendered effective service to the Fire Service on the occasion of fires;

- (u) the training, discipline and good conduct of \ the members of the Fire Service;
- (v) speedy attendance of members of the Fire Service with necessary appliances and equipment on the occasion of any alarm of fire;
- (w) regulating and controlling the powers, duties and functions of the Director;
- (x) generally, for the maintenance of the Fire Service in a due state of efficiency;
- (y) regulating installation of pandals and shamianas;
- (z) writing of confidential reports fire officers;
- (za) determining the description and quantity of fire fighting and rescue equipment including appliances clothing and other necessities to be furnished to the Fire Service;
- (zb) institution, management and regulation of any fire service fund for any purpose connected with policy administration;
- (zc) assigning duties to fire officers of all ranks and grades, and prescribing the manner in which and the conditions subject to which, they shall exercise and perform their respective powers and duties;
- (zd) generally, for the purposes of rendering the Fire Service efficient and preventing abuse or neglect of their duties;
- (ze) and any other matter which is required to be, or may be, provided by rules.

64. Laying of rules and regulations before both the houses of the Legislature of the State of Bihar :- Every rule and regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before both Houses of legislature, while it is in session, for a total period of 14 days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation, or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall there after have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule of regulation.

65. Delegation of powers.—(1) The Government may by notification in the Official Gazette direct that any power exercisable by it under this Act shall, subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification be exercisable by any of the officers of the Government.

(2) The Director may, by order, direct that any power conferred or any duty imposed on him by or under this Act shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercised and, performed also by any officer of the Fire Service specified in the order.

66. Repeal and Savings.—(1) The Bihar Fire Service Act, 1948 (Bihar Act 37, 1948) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, the following general responsibilities of any Local Authority shall not be deemed to be limited, modified or derogated:-

- (a) to provide and maintain such water supply and fire hydrants for fire fighting purposes as may be directed by the Government from time to time;
- (b) to frame bye-laws For the regulation of dangerous trades;
- (c) to order any of its employees to render aid in fighting a fire when reasonably called to do so by any member of the Fire Service; and
- (d) generally to take such measures as will lessen the likelihood of fires or preventing the spread of fires.

67. Power to Remove Difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this Section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the Legislative Assembly of Bihar.”

By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 325-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>